

#### राजस्थान राज—पत्र RAJASTHAN GAZETTE विशेषांक

# **Extraordinary**

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 14, बुधवार, शाके 1933-मई 4, 2011 Vaisakha 14, Wednesday, Saka 1933-May 4, 2011

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम।

उद्योग (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 3, 2011

जी.एस.आर. 19:-यतः विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं.1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 का प्रारुप, उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित की जाये, 7 दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त धारा की उप–धारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना सं. एफ.६ (410)सीआई/ एलएम / मॉडल / रूल्स / एक्ट / 2010, दिनांक 21.3.2011 द्वारा राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 3 (ख) दिनांक 21.3.2011 में प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त प्रारुप नियमों, पर उक्त कालावधि के भीतर प्राप्त समस्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है।

अतः अब विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं.1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 है।
  - (2) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
  - (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से ही प्रवृत होंगे।

- 2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-
  - "अधिनियम" से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (क) (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं.1) अभिप्रेत है;
  - "निर्देश मानक प्रयोगशाला" से अधिनियम के अधीन केन्द्र (ख) सरकार द्वारा स्थापित कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है जहां निर्देश मानक, द्वितीयक मानक और कार्यकरण मानक संधारित किये जाते हैं; और
  - "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत (ग)
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हे क्रमशः समनुदिष्ट किया गया है।
- 3. निर्देश मानक.—निर्देश मानक ऐसे स्थान पर, ऐसी रीति में और ऐसी अभिरक्षा में रखे जायेंगे जैसा विधिक मापविज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011 के अधीन विहित है।
- 4. द्वितीयक मानक.—(1) प्रत्येक द्वितीयक मानक किसी भी निर्देश मानक प्रयोगशाला में ऐसी रीति में और ऐसे कालिक अन्तरालों पर जैसा विधिक मापविज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011 के अधीन विहित हो, सत्यापित किया जायेगा और यदि ऐसे सत्यापन पर अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित मानकों के अनुरुप पाया जाता है तो निर्देश मानक प्रयोगशाला द्वारा स्टाम्पित किया जायेगा या उस प्रयोगशाला द्वारा सत्यापन का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- (2) द्वितीयक मानक ऐसे स्थान पर, और ऐसी अभिरक्षा में रखे जायेंगे जैसा नियंत्रक निर्देश दे।
- **5. कार्यकरण मानक.**—(1) प्रत्येक कार्यकरण मानक राज्य सरकार द्वारा पोषित या तो किसी भी निर्देश मानक प्रयोगशाला पर या किसी भी द्वितीयक मानक प्रयोगशाला पर ऐसी रीति में और ऐसे कालिक अन्तरालों पर, जैसा विधिक मापविज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011 के अधीन विहित हो, सत्यापित किये जायेंगे और यदि ऐसे सत्यापन पर अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप पाया जाता है तो सत्यापित

किया जायेगा या, यथास्थिति, उस प्रयोगशाला द्वारा सत्यापन का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

- (2) कार्यकरण मानक विधिक मापविज्ञान अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।
- 6. द्वितीयक मानक तुला.—(1) द्वितीयक मानक तुलाओं का एक समुच्चय प्रत्येक ऐसे स्थान पर रखा जायेगा जहां द्वितीयक मानक बाट रखे जाते हैं।
- (2) ऐसी तुलाओं की संख्या, प्रकार और विनिर्देश ऐसे होंगे जैसे विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011 के अधीन विहित हों।
- (3) प्रत्येक द्वितीयक मानक तुला बारह मास की कालावधि के भीतर कम से कम एक बार सत्यापित की जायेगी और यदि आवश्यक हो तो निर्देश मानक प्रयोगशाला द्वारा या नियन्त्रक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो इस निमित्त नियन्त्रक द्वारा प्राधिकृत किया जाये, अधिनियम के अधीन विहित सूक्ष्मग्राहिता की सीमाओं और अन्य मापविज्ञानी क्वालिटी के भीतर, इसे सही करने के लिए समायोजित की जायेगी।
- 7. कार्यकरण मानक तुला.-(1) कार्यकरण मानक तुलाओं का एक समुच्चय प्रत्येक ऐसे स्थान पर रखा जायेगा जहां कार्यकरण मानक बाट रखे जाते हैं।
- (2) ऐसी त्लाओं की संख्या, प्रकार और विनिर्देश ऐसे होंगे जैसा विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011 के अधीन विहित हों।
- (3) प्रत्येक कार्यकरण मानक तुला बारह मास की कालावधि के भीतर कम से कम एक बार सत्यापित की जायेगी और यदि आवश्यक हो तो निर्देश मानक प्रयोगशाला द्वारा या किसी भी ऐसे स्थान पर, जहां राज्य सरकार द्वारा द्वितीयक मानक रखे जाते हैं, विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011 के अधीन विहित सूक्ष्मग्राहिता की सीमाओं और अन्य मापविज्ञानी क्वालिटी के भीतर, इसे सही करने के लिए समायोजित की जायेगी।
- 8. बाट और माप के भौतिक लक्षण, आकृति, सन्निर्माण सम्बन्धी ब्योरे.-किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिए आशयित प्रत्येक बाट या माप भौतिक लक्षणों, आकृति, सन्निर्माण सम्बन्धी ब्यौरों, सामग्री, संपादन, सहन सीमा और ऐसे अन्य ब्यौरों के

सम्बन्ध में अधिनियम या विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम, 2011 के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरुप होंगे।

- 9. सोना-चांदी (बुलियन) बाट, कैरट बाट इत्यादि का उपयोग.-(1) साधारण नियम, 2011 में यथा-विनिर्दिष्ट बुलियन बाट से भिन्न कोई बाट बह्मूल्य धातुओं, मोतियों, आभूषणों या सोने या चांदी से निर्मित अन्य वस्तुओं को सम्मिलित करते हुए बुलियन में के किसी संव्यवहार या संरक्षण में प्रयुक्त नहीं किये जायेंगे।
- (2) कैरट बाट से भिन्न कोई बाट बहुमूल्य रत्नों में के किसी संव्यवहार में प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।
- (3) केवल वर्ग "क" या वर्ग "ख" प्रवर्ग के दण्डतुला या उच्च शुद्धता वर्ग (वर्ग-II) या विशेष शुद्धता वर्ग (वर्ग-I) के गैर-स्वचालित तौलन उपकरण ऊपर उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार या संरक्षण में प्रयुक्त किये जायेंगे।
- 10. कतिपय मामलों में केवल बांटों या केवल मापों या केवल संख्या का उपयोग.-अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामलों को छोडकर, प्रत्येक संव्यवहार, व्यवहार या संविदा में या संरक्षण के लिए परिमाण की घोषणा निम्नलिखित इकाई के पदों में होगी-
  - (क) वजन,यदि वाणिज्या ठोस, अर्ध-ठोस, श्यान या ठोस और तरल का कोई मिश्रण है:
  - (ख) लम्बाई, यदि वाणिज्या रैखिक माप द्वारा विक्रीत की जाती
  - (ग) क्षेत्रफल, यदि वाणिज्या क्षेत्र माप द्वारा विक्रीत की जाती है;
  - (घ) आयतन,यदि वाणिज्या तरल है या घनीय माप द्वारा विक्रीत की जाती है: या
  - (ड.) संख्या, यदि वाणिज्या संख्या द्वारा विक्रीत की जाती है।
- 11. बाट और मापों के विनिर्माता, मरम्मतकर्ता और व्यवहारी का अनुज्ञापन.—(1) बाट और माप का प्रत्येक विनिर्माता या मरम्मतकर्ता, या उसका व्यवहारी अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अनुसूची-2-क में उपवर्णित समुचित प्रारुप में नियन्त्रक विधिक मापविज्ञान या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, आवेदन करेगा :

परन्तु किसी विनिर्माता से उसके द्वारा विनिर्मित और उसके विनिर्माण के राज्य से भिन्न किसी राज्य में प्रयुक्त बाट और माप मरम्मत करने के लिए मरम्मत की कोई अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं की जायेगी किन्तु विनिर्माता को सम्बन्धित विधिक मापविज्ञान अधिकारी को मरम्मत के बारे में अग्रिम रूप से सूचित करना होगा।

- (2) बाट और माप का प्रत्येक विनिर्माता या मरम्मतकर्ता या उसका व्यवहारी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अनुसूची—2—ख में उपवर्णित समुचित प्रारुप में नियंत्रक विधिक मापविज्ञान या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाये, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के अवसान के पूर्व तीस दिन के भीतर आवेदन करेगा।
- (3) किसी विनिर्माता, मरम्मतकर्ता या व्यवहारी को जारी की गयी प्रत्येक अनुज्ञप्ति अनुसूची—3 में उपवर्णित समुचित प्रारुप में होगी।
- (4) किसी विनिर्माता, मरम्मतकर्ता या व्यवहारी को जारी की गयी प्रत्येक अनुज्ञप्ति एक कलैंडर वर्ष की किसी न्यूनतम कालावधि के लिए विधिमान्य होगी और अनुसूची—4 में यथा—विनिर्दिष्ट प्रतिवर्ष फीस के संदाय पर नियन्त्रक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाये, पांच वर्ष की कालावधि के लिए नवीकृत की जा सकेगी।
- (5) किसी अनुज्ञप्ति के परिवर्तन के लिए या अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए संदेय फीस अनुसूची—4 में यथा—विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अनुज्ञप्ति फीस की आधी होगी:

परन्तु आवेदक द्वारा अनुसूची—4 में विनिर्दिष्ट पूर्ण दरों पर अतिरिक्त फीस संदेय होगी यदि नियन्त्रक द्वारा उसे अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख से तीन मास की कालाविध के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।

- (6) नियन्त्रक या ऐसा अन्य अधिकारी, जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाये, अनुसूची—5 में उपवर्णित प्रारुप में अनुज्ञप्त विनिर्माताओं, व्यवहारियों और मरम्मतकर्ताओं का एक रिजस्टर संधारित करेगा।
- (7) अधिनियम और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक विनिर्माता / मरम्मतकर्ता / व्यवहारी, अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार ऐसी कर्मशाला / उपकरण / औजार, यथास्थिति, रजिस्टर इत्यादि रखेगा।

- (8) अधिनियम और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त प्रत्येक मरम्मतकर्ता प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए राज्य सरकार को ऐसी प्रतिभूति का निक्षेप करेगा जो अनुसूची—6 में विनिर्दिष्ट है।
- (9) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत की गयी प्रत्येक अनुज्ञप्ति उस परिसर में ऐसे सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी जहां अनुज्ञप्तिधारी कारबार करता है।
- (10) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत की गयी कोई अनुज्ञप्ति ना तो विक्रय होगी और ना ही अंतरणीय होगी।
- 12. मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति का निलम्बन और रद्दकरण.—(1) नियन्त्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त कारण है कि इस अधिनियम के अधीन जारी, नवीकृत या चालू रखी गयी किसी अनुज्ञप्ति के धारक ने अनुज्ञप्ति को जारी करने, नवीकृत करने या चालू रखने के लिए किसी आवेदन में या के सम्बन्ध में कोई कथन किया है जो किसी तात्विक विशिष्ट में गलत या मिथ्या है, या उसने अधिनियम या तदधीन बने किसी नियम या आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है तो ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक के विरुद्ध किसी जांच के लम्बित रहने के दौरान ऐसी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा:

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति तब तक निलंबित नहीं की जायेगी जब तक कि उसके धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

परन्तु यह और कि जहां इस उप नियम के निर्दिष्ट जांच अनुज्ञप्ति के निलम्बन की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं होती है, वहां ऐसा निलम्बन ऊपर कथित कालावधि के अवसान पर रद्द हो जायेगा।

(2) नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति के धारक ने उप—नियम (1) में निर्दिष्ट प्रकृति का मिथ्या या गलत कथन किया है या उस उप— नियम में निर्दिष्ट किसी विधि या आदेश का उल्लंघन किया है तो ऐसी अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा:

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति तब तक रद्द नहीं की जायेगी जब तक कि उसके धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

- (3) प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गयी है, ऐसे निलम्बन के तुरन्त पश्चात्, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्य करना बन्द कर देगा और ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के रूप में तब तक कारबार पुनः प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि निलम्बन का ऐसा आदेश रद्द न कर दिया गया हो या रदद न हो जाये।
- (4) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द कर दी गयी है, ऐसे निलम्बन या, यथास्थिति रद्दकरण के पश्चात् उस प्राधिकारी को, जिसके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति जारी की गई थी, ऐसी अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित कर देगा।
- (5) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है, ऐसे रद्दकरण की तारीख से तीस दिन की कालाविध के भीतर, या ऐसी तारीख से तीन मास से अनिधक की ऐसी और कालाविध के भीतर, जो नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित करने पर अनुज्ञात की जाये, ऐसे रद्दकरण की तारीख पर, उन बाट और मापों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, व्ययनित करेगा और ऐसा करने में उसके विफल रहने की दशा में, नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस निमित्त लिखित में, उसका अभिग्रहण कर सकेगा और व्ययन कर सकेगा और उसके आगमों को ऐसी रीति में, जो इन नियमों में विहित है, वितरित कर सकेगा।
- 13. विनिर्माता इत्यादि द्वारा संधारित किये जाने वाले अभिलेख.—अधिनियम और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त बाट या माप का प्रत्येक विनिर्माता या मरम्मतकर्ता या का व्यवहारी अनुसूची—7 में उपवर्णित समुचित प्ररूप में अभिलेखों और रजिस्टरों का संधारण करेगा और ऐसी कालिक रिपोर्ट / विवरणी भी प्रस्तुत करेगा जो विनिर्दिष्ट है।
- 14. बाट या मापों का सत्यापन और निरीक्षण.—(1) किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिए किसी बाट या माप का उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस तारीख को या उससे पूर्व, जिसको सत्यापन नियत होता है, विधिक मापविज्ञान अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किया जाये, सत्यापन / पुनः सत्यापन के लिए ऐसे बाट या माप प्रस्तुत करेगा।

परन्त जहां कोई बाट या माप ऐसा है कि वह उसकी अवस्थिति से हटाया नहीं जा सकता या हटाया नहीं जाना चाहिए, वहां ऐसे बाट या माप का उपयोग करने वाला व्यक्ति विधिक मापविज्ञान अधिकारी को उस तारीख, जिसको सत्यापन नियत होता है, से कम से कम तीस दिन पहले ही रिपोर्ट करेगा।

- (2) जहां कोई बाट या माप ऐसा है कि वह उसकी अवस्थिति से हटाया नहीं जा सकता या हटाया नहीं जाना चाहिए वहां विधिक मापविज्ञान अधिकारी ऐसे बाट या माप का उसकी अवस्थिति के स्थान पर सत्यापन करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा।
- (3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट बाट या माप के सत्यापन के लिए उपयोक्ता ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करायेगा जो नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।
- (4) सत्यापन के लिए प्रस्तुत प्रत्येक बाट या माप अपने आप में पूर्ण होगा।
- (5) प्रत्येक बाट या माप स्वच्छ स्थिति में सत्यापित किया जायेगा, और यदि आवश्यक है तो विधिक मापविज्ञान अधिकारी स्वामी या उपयोक्ता से इस प्रयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था कराने की अपेक्षा करेगा।
- (6) कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी, विधिक मापविज्ञान (साधारण) नियम 2011 में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान, यथा संभव प्राय:, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्येक परिसर में निरीक्षण और किसी बाट या माप, जो किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त किये जाने के लिए आशयित या संभाव्य है, की जांच करने के लिए जा सकेगा।
- (7) विधिक मापविज्ञान अधिकारी किसी बाट या माप पर की स्टाम्प को मिटा देगा यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि :-
  - (क) कोई बाट या माप जो पुनः सत्यापन के लिए नियत होते हुए भी ऐसे पुनः सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है;
  - (ख) कोई बाट या माप जो अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं है :

परन्तु जहां विधिक मापविज्ञान अधिकारी की राय है कि ऐसे बाट या माप में दोष या गलती ऐसी नहीं है जिससे स्टाम्प का तुरन्त मिटाया

जाना अपेक्षित हो, वहां वह उपयोक्ता को बाट या माप में पाये गये दोष या गलती की सूचना देगा और उपयोक्ता को ऐसे समय के भीतर, जो आठ दिन से अनधिक हो, दोष या गलती दूर करने के लिए बुलायेगा और–

- (i) यदि उपयोक्ता उस कालावधि के भीतर दोष या गलती दूर करने में विफल रहता है तो स्टाम्प को मिटा देगा, या
- (ii) यदि दोष या गलती इस प्रकार दूर की जाती है जिससे बाट या माप अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप हो जाते हैं तो वह उन्हें सत्यापित करेगा और ऐसे बाट या माप को स्टाम्प लगायेगा।

स्पष्टीकरण:-किसी बाट या माप पर स्टाम्प का मिटाया जाना विधिक माप विज्ञान अधिकारी की अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे बाट या माप के अभिग्रहण करने की शक्ति को वापस लेना या न्यून करना नहीं होगा।

15. बाट या मापों को स्टाम्प करना.—(1) विधिक मापविज्ञान अधिकारी, यदि जांच करने या सत्यापन के पश्चात उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा बाट या माप अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप है, नियंत्रक द्वारा जारी एकरूप डिजायन की स्टाम्प, जिसमें विधिक मापविज्ञान अधिकारी, जिसके द्वारा इसे स्टाम्पित किया गया है, को प्रशासनिक प्रयोजन के लिए आवंटित संख्यांक इंगित होगा, से प्रत्येक बाट या माप को स्टाम्प करेगा :

परन्तु किसी बाट या माप के आकार या स्वरूप के कारण उस पर स्टाम्प लगाना वांछनीय या साध्य न हो तो विधिक मापविज्ञान अधिकारी ऐसी कार्रवाई करेगा जो नियंत्रक द्वारा लिखित में किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाये।

(2) विधिक मापविज्ञान अधिकारी प्रत्येक सत्यापित बाट या माप पर स्टाम्पन का वर्ष और उसकी तिमाही भी अंकित करेगा सिवाय इसके जब ऐसे बाट या माप के आकार या स्वरूप के कारण ऐसा करना असाध्य हो। स्पष्टीकरण:-एक वर्ष में चार तिमाहियां होंगी जिसकी पहली

तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च मास की होगी जो "ए" के रूप में अंकित की जायेगी, दूसरी तिमाही

अप्रेल, मई और जून मास की होगी जो "बी" के रूप में अंकित की जायेगी, तीसरी तिमाही जुलाई, अगस्त और सितम्बर मास की होगी जो "सी" के रूप में अंकित की जायेगी और चौथी तिमाही अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर मास की होगी जो "डी" के रूप में अंकित की जायेगी।

- (3) सत्यापन और स्टाम्पन के पूर्ण होने पर विधिक मापविज्ञान अधिकारी अनुसूची-8 में उपवर्णित प्ररूप में सत्यापन का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- (4) जहां सत्यापन का प्रमाण-पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है वहां सत्यापन के प्रमाण-पत्र का धारक तत्काल उस विधिक मापविज्ञान अधिकारी को, जिसने प्रमाण-पत्र जारी किया था, सत्यापन के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करेगा। प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति के लिए ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ दस रुपये की फीस होगी।
- (5) उप-नियम (4) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर विधिक मापविज्ञान अधिकारी आवेदक को सत्यापन के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा जिस पर 'दूसरी प्रति' अंकित होगा।
- 16. सत्यापन के लिए फीस.—(1) विधिक मापविज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय में बाट और माप के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए संदेय फीस ऐसी होगी जो अनुसूची-9 में विनिर्दिष्ट है।
- (2) यदि सत्यापन बाट या माप के उपयोक्ता के अनुरोध पर विधिक मापविज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय से भिन्न किसी परिसर में किया जाता है तो अनुसूची-9 में विनिर्दिष्ट दर से आधी दर पर अतिरिक्त फीस प्रभारित की जायेगी और बाट या माप का उपयोक्ता न्यूनतम एक सौ रुपये के अध्यधीन रहते हुए, कार्यकरण मानक और अन्य उपस्कर के परिवहन और चढ़ाई-उतराई के खर्चे को सम्मिलित करते हुए विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा परिसरों का दौरा करने के लिए उपगत व्यय संदत्त करेगा:

परन्तु निम्नलिखित के अपनी जगह पर बाट और माप के सत्यापन और उसे स्टाम्पित करने के लिए कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जायेगी-

पेट्रोलियम उत्पादों ओर अन्य द्रव्यों के लिए यान टैंक, जल से (i) भिन्न अन्य द्रव्यों के लिए मीटर (पयूल डिस्पेंसर, लिक्विड

पेट्रोलियम गैस, मिल्क डिस्पेंसर), कम्प्रेस्डनैच्यूरलगैस डिस्पेंसर, गैर—स्वचालित तौलन उपकरण जैसे तुला चौकी, प्लेटफार्म मशीन, क्रेन स्केल, स्वचालित भारमीतीय भराई उपकरण, स्वचालित रेल तुला चौकी, असतत योगमानन स्वचालित तौलन उपकरण और ऐसे अन्य बाट या माप जिन्हें उनके स्थान से हिलाया नहीं जा सकता ओर हिलाया नहीं जाना चाहिए,

- (ii) ऐसे बाट या माप के विनिर्माता या व्यवहारी के परिसरों में बाट या माप।
- (3) यदि बाट या माप को स्टाम्प की विधिमान्यता के अवसान के पश्चात् पुनर्सत्यापन के लिए विधिक मापविज्ञान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए अनुसूची—9 में विनिर्दिष्ट दरों की आधी दर पर अतिरिक्त फीस संदेय होगी।
- (4) ऐसे बाट या माप के लिए, जो विनिर्माता या व्यवहारी के स्टाक में पाये जायें, उस तारीख से, जिसको इसे अन्तिम बार स्टाम्पित किया गया था, बशर्ते कि मूल स्टाम्प को मिटाया नहीं गया था, विधिक माप—विज्ञान (साधारण) नियम, 2011 में विनिर्दिष्ट कालाविध में पुनः स्टाम्पन के लिए पूरी फीस संदेय होगी।
- (5) ऐसे बाट या माप को, जो सत्यापन पर गलत होना पाया जाता है, सम्बन्धित व्यक्ति को नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में उसे ऐसे बाट या माप में पायी गयी त्रुटि के सम्बन्ध में सूचित करते हुए समायोजन के लिए लौटा दिया जायेगा और उससे सात दिवस से अनिधक की कालाविध में त्रुटि दूर करने की अपेक्षा की जायेगी। जब आवश्यक समायोजन कियानिवत हो जाता है, तो ऐसा बाट या माप अनुसूची—9 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर सत्यापित किया जायेगा और यदि सही पाया जाये, तो स्टाम्पित किया जायेगा।
- 17. फीस का संग्रहण और खजाने में निक्षेप.—(1) सत्यापन या पुनर्सत्यापन का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, विधिक मापविज्ञान अधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति को उसके द्वारा संदेय फीस के सम्बन्ध में सूचित करेगा और उसे नियंत्रक द्वारा यथाप्राधिकृत रीति में प्राप्त करेगा तथा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप पर, ऐसी रसीद की एक प्रति अभिलेख पर रखते हुए, रसीद जारी करेगा:

परन्तु केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इन नियमों के अधीन संदेय फीस उसी रीति से वसूल की जायेगी जैसा नियंत्रक द्वारा निदिष्ट किया जाये।

- (2) विधिक मापविज्ञान अधिकारी नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक रजिस्टर संधारित करेगा. जो दैनंदिन अद्यतन किया जायेगा और दिनभर में संगृहित फीस और प्रभारों की रकम दर्शायेगा।
- (3) विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा सप्ताह के दौरान प्राप्त समस्त संदाय ऐसी तारीख या दिन को, जो नियंत्रक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, समुचित ''लेखा शीर्ष के अधीन सरकारी खजाने में संदत्त किया जायेगा, और उसकी रसीद अभिप्राप्त की जायेगी तथा इस आशय की सूचना नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी को भेजी जायेगी।
- 18. अभिगृहीत बाट, माप इत्यादि का निपटारा.—(1) किसी असत्यापित बाट या माप को ऐसे व्यक्ति को लौटा दिया जायेगा, जिससे ऐसा बाट या माप अभिगृहीत किया गया था, यदि वह व्यक्ति स्टाम्प की विधिमान्यता के अवसान के पश्चात् पुनर्सत्यापन के वचनबंध के लिए संदेय अतिरिक्त फीस सहित विहित फीस का संदाय करके इस प्रकार लौटाने के पन्द्रह दिवस के भीतर उन्हें सत्यापित और स्टाम्पित करा लेता है।
- (2) अधिनियम की धारा-15 के अधीन अभिगृहीत और निरूद्ध कोई बाट या माप या दस्तावेज या वस्तू या माल, जो किसी न्यायालय में की कार्यवाही का विषय होना है, विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात इसे विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा कब्जे में लिया जायेगा और न्यायालय के आदेशानुसार निपटाया जायेगा :

परन्तु न्यायालय के आदेशों के अभाव में ऐसे बाट या माप या दस्तावेज या वस्तु या माल को इस प्रकार निपटाया जायेगा जैसा नियंत्रक विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे और उसकी सामग्री का विक्रय किया जायेगा तथा आगम सरकार में जमा किये जायेंगे।

(3) यदि अधिनियम की धारा-15 के अधीन अभिगृहीत कोई माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है, तो विधिक मापविज्ञान अधिकारी अपने पास या अपराध के स्थान से निकटतम स्थान पर उपलब्ध किसी सत्यापित तौलन या मापन उपकरण पर माल का तौल या माप करायेगा और इस

प्रयोजन के लिए नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में माल के वास्तवित तौल या माप की प्रविष्टि करेगा, और उस व्यापारी या उसके अभिकर्ता या ऐसे अन्य व्यक्ति के, जिसने अपराध कारित किया है, हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा। प्रश्नगत माल व्यापारी या, यथास्थिति, केता को लौटा दिया जायेगा:

परन्तु यदि व्यापारी या उसका अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति (जिसने अपराध कारित किया है) प्ररूप पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो विधिक मापविज्ञान अधिकारी ऐसे व्यापारी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार इनकार किये जाने के समय उपस्थित दो से अन्यून व्यक्तियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा। व्यापारी को माल लौटाने के मामले में वह वचनबंध करेगा कि वह त्रुटियुक्त माल को उसकी त्रुटि में सुधार किये बिना विक्रय नहीं करेगा।

(4) जहां अधिनियम की धारा—15 की उपधारा—(1) के अधीन अभिगृहीत माल किसी पैकेज में अन्तर्विष्ट है और वह पैकेज मिथ्या है या अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुरूप नहीं है और पैकेज में का माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है वहां विधिक मापविज्ञान अधिकारी, जहां तक हो सके, ऐसे पैकेज में के माल को उप—नियम (3) के उपबन्धों के अनुसार निपटा सकेगा:

परन्तु अभिगृहीत और निरूद्ध माल शीघ्रत्या या प्रकृत्या क्षयशील है या नहीं यह विनिश्चय करने का अन्तिम प्राधिकारी नियंत्रक होगा।

- (5) जहां अधिनियम की धारा—15 की उप—धारा (1) के अधीन अभिगृहीत माल शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील नहीं हैं, वहां विधिक मापविज्ञान अधिकारी, ऐसे व्यापारी या उसके अभिकर्त्ता या किसी अन्य व्यक्ति (जिसने अपराध कारित किया है) को ऐसे अभिग्रहण का नोटिस देने के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयाजन के लिए पैकेज को रख सकेगा।
- (6) उप—िनयम (4) और (5) में निर्दिष्ट माल, जो किसी न्यायालय में की कार्यवाही का विषय नहीं होना है, उसके अभिग्रहण के साठ दिवस के अवसान के पश्चात् इस प्रकार निपटाया जायेगा जैसा नियंत्रक विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।
- 19. सम्यक रूप से स्टाम्पित बाट या माप की विधिमान्यता.—(1) कोई बाट या माप जो इस नियम के अधीन सम्यक रूप से सत्यापित और

स्टाम्पित है या समझा जाता है, राज्य के भीतर प्रत्येक स्थान पर जहां यह स्टाम्पित किया जाता है, तब तक अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित मानक के अनुरूप समझा जायेगा जब तक कि निरीक्षण या सत्यापन पर यह नहीं पाया जाये कि ऐसा बाट या माप अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित मानक के अनुरूप नहीं रह गया है।

(2) किसी बाट या माप को, जो इस अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से सत्यापित और स्टाम्पित है या समझा जाता है, केवल इस तथ्य के कारण से पुनःस्टाम्पित किये जाने की अपेक्षा की जायेगी कि उसका उपयोग राज्य के भीतर किसी ऐसे स्थान से भिन्न स्थान पर किया जा रहा है, जिस पर उसे मूलतः सत्यापित और स्टाम्पित किया गया था:

परन्तु जहां एक स्थान पर स्थापित किसी सत्यापित बाट या माप को खोल डाला जाता है और किसी भिन्न स्थान पर पुनःस्थापित किया जाता है, वहां ऐसे बाट या माप को तब तक उपयोग में नहीं लिया जायेगा, जब तक कि उसे सम्यक् रूप से पुनर्सत्यापित और स्टाम्पित नहीं कर दिया जाये, यह होते हुए भी कि ऐसे बाट या माप का कालिक पुनर्सत्यापन नियत न हुआ हो।

- (3) जहां किसी सत्यापित बाट या माप की मरम्मत, चाहे किसी अनुज्ञप्तिधारी मरम्मतकर्ता द्वारा या उसका स्वामित्व और कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, की गयी है, ऐसे बाट या माप को तब तक उपयोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि उसे सम्यक् रूप से पुनर्सत्यापित और स्टाम्पित नहीं कर दिया जाये, यह होते हुए भी कि ऐसे बाट या माप का कालिक पुनर्सत्यापन नियत न हुआ हो।
- 20. विधिक मापविज्ञान अधिकारी को कार्यकरण / द्वितीयक मानक उपस्कर इत्यादि के प्रदाय का उपबन्ध.—(1) प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी को कार्यकरण / द्वितीयक मानक बाट, कार्यकरण / द्वितीयक मानक तुला, और तौलन तथा मापन युक्ति सहित ऐसे अन्य उपस्कर, जो नियंत्रक द्वारा समय—समय पर अनुमोदित हों, उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (2) प्रत्येक विधिक मापविज्ञान अधिकारी को ऐसे डाई, पंच, पेपर सील / स्टीकर और ऐसे अन्य उपस्कर जो सत्यापन स्टाम्प को चिपकाने के लिए आवश्यक हों, डिजाइन और संख्यांक जो नियंत्रक द्वारा अनुमोदित हों, उपलब्ध कराये जायेंगे।

- (3) प्रत्येक विधिक माप-विज्ञान अधिकारी को स्टाम्प मिटाने के लिए नीचे दर्शाये गये आठ बिन्दुवाले तारे के आकार के उपयुक्त पंच उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 21. बाट, माप इत्यादि के उपयोग संबंधी उपबन्ध.-(1) अपने परिसर में दण्ड-तुला का उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी दण्ड तुला को किसी स्टेण्ड से या किसी हुक द्वारा जंजीर से लटकायेगा:

परन्तु यह उप-नियम भ्रमणशील विकेता पर लागू नहीं होगा।

- (2) प्रत्येक बाट या माप का उपयोग साफ अवस्था में और उचित प्रकाश व्यवस्था में किया जायेगा।
- (3) किसी बाट या माप को, जिसको अपनी जगह पर सत्यापित और स्टाम्पित किया गया है, नियंत्रक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को पूर्व सूचना के बिना उसके मूल स्थान से खोला या हटाया नहीं जायेगा।
- (4) किसी तौलन उपकरण के सही होने की उचित जांच को स्निश्चित करने के लिए उपयोक्ता, प्रत्येक तौलन उपकरण के स्थान पर सम्यक् रूप से सत्यापित और स्टाम्पित एक टन का या उपकरण की क्षमता के दसवे हिस्से के बराबर का बाट, जो भी कम हो, रखेगा और उपभोक्ता भी तौलन उपकरण के सही होने की जांच कर सकता है:

परन्तू जंहा एक से अधिक तौलन उपकरण हों वहां नियंत्रक व्यापार परिसर में संधारित किये जाने वाले सत्यापित और स्टाम्पित बाटों की कुल संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

- (5) पेट्रोल / डीजल पम्पों के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए पम्प का खुदरा व्यवहारी अपने परिसर में विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित 5 लीटर / 10 लीटर क्षमता के माप रखेगा और उसके सही वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक दिन पम्प से निक्षेपित उत्पाद की मात्रा की जांच करेगा। किसी कम वितरण के मामले में व्यवहारी तत्काल पम्प के माध्यम से वितरण को रोक देगा और पम्प को पुनः अनुसंशोधित करने के लिए संबंधित विधिक माप-विज्ञान अधिकारी को सूचित करेगा।
- 22. सत्यापन के प्रमाण-पत्र का प्रदर्शित किया जाना.-ऐसा व्यक्ति, जिसे सत्यापन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, प्रमाण-पत्र को परिसर में के ऐसे सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा जहां ऐसे बाट,

माप या तौलन या मापन उपकरण, जिनके संबंध में प्रमाण-पत्र है, उपयोग में लिये जाते हैं :

परन्तु किसी भ्रमणशील विकेता के मामले में प्रमाण-पत्र उस व्यक्ति द्वारा अपने साथ रखा जायेगा :

परन्तु यह और कि किसी यान टैंक के मामले में सत्यापन का प्रमाण-पत्र यान के साथ रखा जायेगा।

- 23. नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति.—जो कोई इन नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, जिसके उल्लंघन के लिए अधिनियम में पृथक रूप से किसी दण्ड का उपबन्ध नहीं किया गया है, ऐसे जुर्माने से दंडित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा। जब कभी भी नियमों का इस अधिनियम के उपबन्धों से विरोध हो तो अधिनियम नियमों पर अभिभावी होगा।
- 24. अपील का प्रारूप.-(1) अधिनियम और इन नियमों के अधीन अपील अनुसूची 10 में दिये गये प्रारूप में की जायेगी, और जिसके साथ उस आदेश की एक प्रति होगी जिसके विरूद्व अपील की गयी है।
- (2) राज्य सरकार को अपील के लिए आवेदन के साथ 500 रु. की फीस होगी और नियंत्रक को अपील के लिए आवेदन के साथ 200 रु. की फीस होगी जो उक्त मूल्य के लिए या तो नकद द्वारा या, यथास्थिति, न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाकर संदत्त की जायेगी।
- 25. अपराधों के शमन के लिए फीस.-अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों के शमन के लिए फीस ऐसी होगी जो अनुसूची-11 में विहित है।
- **26. निरसन और व्यावृत्तियां**:- (1) राजस्थान बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1997 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) इसके द्वारा निरसित किये जाते है:

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा –

- (क) उक्त नियमों के पूर्ववर्त्ती प्रवंतनों या की गयी या किये जाने से लोप की गयी या उसमें भुक्ति गयी किसी बात; या
- (ख) उक्त नियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

- उक्त नियमों के विरुद्ध कारित किसी अपराध के संबंध में (ग) उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड ; या
- (घ) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियों या उपचार और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार संस्थित किया, जारी रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि उक्त नियम विखंडित नहीं हुए हों।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमों के अधीन पत्र के अनुमोदन, मंजूर की गयी छूट, संग्रहीत फीस, प्रारम्भ किया गया कोई न्यायनिर्णयन, जांच या अन्वेषण, बाटों और मापों के विनिर्माताओं, व्यवहारियों, आयातकर्त्ताओं, की अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण, अ-मानक बाट और माप, जारी किया गया कारण बताओ नोटिस, दिया गया विनिश्चय या किया गया अवधारण, अनुमोदन, प्राधिकार को सम्मिलित करते हुए की गयी कोई बात या की गयी कोई कार्रवाई या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई यदि उक्त नियमों के प्रारंभ के समय प्रवृत्त है तो वह प्रवृत्त बनी रहेगी और ऐसा प्रभाव रखेगी मानो कि इन नियमों के तत्समानी उपबंधों के अधीन जारी की गयी, दी गयी या की गयी हो।
- (3) इन नियमों के उपबंध, इन नियमों के प्रारंभ पर लंबित बाटों और मापों के विनिर्माताओं, आयातकर्त्ताओं, व्यवहारियों, मरम्मतकर्त्ताओं की अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण के लिए उक्त नियमों के अधीन राज्य सरकार को किये गये किसी आवेदन पर और उस पर परिणामतः किन्ही कार्यवाहियों पर और उसके अनुसरण में मंजूर किये गये किसी रजिस्ट्रीकरण पर लागू होंगे।
- (4) इन नियमों के प्रारंभ पर उक्त नियमों के अधीन किसी न्यायालय में लंबित कोई विधिक कार्यवाहियाँ उस न्यायालय में इस प्रकार जारी रखी जा सकेंगी मानो कि ये नियम विरचित नहीं हुए हों।
- (5) उक्त नियमों के अधीन राज्य सरकार को प्रस्तृत और लंबित कोई अपील इन नियमों के तत्समानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

# अनुसूची—1 (नियम 10 देखिए) नियम 10 में निर्दिष्ट अपवाद

1. निम्नलिखित वस्तुएं, वस्तु के सामने दर्शित वजन, माप या संख्या द्वारा विकीत की जा सकेंगी।

#### सारणी

क्रम	वस्तु	क्या घोषणा वजन, माप
सं.		या संख्या या उनमें से
		दो या अधिक के रूप में
		अभिव्यक्त की जानी है।
1	2	3
1.	एरोसोल उत्पाद	वजन
2.	तरल रूप में एसिड	वजन या आयतन
3.	संपीड़ित या द्रवित गैस (किन्तु द्रवित	वजन और वर्णित
	पैट्रोलियम गैस नहीं)	तापकम और दबाव पर
		समतुल्य आयतन
4.	मक्खन (मूंगफली के मख्खन को	वजन
	सम्मिलित करते हुए) पनीर, दही, घी	
5.	विद्युत केबिल	लम्बाई या वजन
6.	विद्युत तार	लम्बाई या वजन
7.	बाड लगाने का तार	लम्बाई या वजन
8.	बालों में लगाने का तेल, परफ्यूम रहित	वजन या आयतन
9.	फल और सब्जियां	संख्या या वजन
10.	फरनेस ऑयल	वजन या आयतन
11.	लिनसीड् ऑयल एवं अन्य वेजिटेबल	वजन या आयतन
	ऑयल	
12.	हैवी रेसीड्यूअल ईंधन ऑयल	वजन
13.	औद्योगिक डीजल ईंधन	आयतन
14.	शहद, मॉल्ट एक्स्ट्रेक्ट, गोल्डन सिरप	वजन
	ट्रेकल	
15.	आइस कीम और अन्य उसी भांति के	वजन या आयतन
	हिमशीतित उत्पाद	

1	2	3
16.	तरल केमिकल्स	वजन या आयतन
17.	तरल पैट्रोलियम गैस	वजन
18.	कीलें, वुड स्कू	संख्या या वजन
19.	पेन्ट (पेस्ट पेन्ट या ठोस पेन्ट से भिन्न),	आयतन
	वार्निश और वार्निश स्टेयर्स, एनेमल	
20	पापड़	संख्या और वजन
21.	पेस्ट पेन्ट, ढोस पेन्ट	वजन
22.	रसगुल्ला, गुलाबजामुन और अन्य	वजन
	मिठाईयां	
23.	सिले–सिलाये वस्त्र	संख्या और आकार
24.	सभी प्रकार के सॉस	वजन
25.	टायर और ट्यूब	संख्या
26.	धागे	वजन या धागे की
		लम्बाई

# अनुसूची—2 क (नियम 11 (1) देखिए) प्ररूप एल. एम-1

(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के विनिर्माता के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन)

#### प्रेषिती,

क. सं.	आवेदक द्वारा भरा जाये	निरीक्षण अधिकारी के टिप्पणी
1	2	3
1.	विनिर्माण करने वाले समुत्थान का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाही गयी है।	
2.	समुत्थान का पूरा पता। क्या परिसर स्वंय का है/ किराये पर है/पट्टे/लीव अनुज्ञप्ति पर लिया गया है, दस्तावेजों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित।	

1	2	3
3.	कर्मशाला / कारखाना के स्थापना की तारीख	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों	
	और लिमिटेड कम्पनी की दशा में प्रबन्ध	
	निदेशकों के नाम, उनके पिता / पित के नाम	
	मय पते के	
5.	कारखाना / दुकान / स्थापन / नगरपालिक	
	वाणिज्य अनुज्ञप्ति की वर्तमान रजिस्ट्ीकरण	
	संख्या और तारीख।	
6.	वर्तमान में किये जाने वाले विनिर्माण	
	कियाकलापों की प्रकृति।	
7.	विनिर्मित किये जाने के लिए प्रस्तावित बाटों	
	और मापों के प्रकार, अर्थात :	
	(1) बाट	
	(2) माप	
	(3) तौलन उपकरण	
	(4) प्रत्येक मामले में ब्यौरे सहित माप उपकरण	
8.	नियोजित / नियोजित किये जाने के लिए	
	प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या	
	(1) कुशल	
	(2) अर्द्ध—कुशल	
	(3) अकुशल	
	(4) कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञ	
9.	विनिर्मित किये जाने वाले बाटों और मापों पर	
	मुद्रित किये जाने के लिए आशयित मोनोग्राम	
	या ट्रेड मार्क	
10.	बाटों, मापों इत्यादि के विनिर्माण के लिए	
	स्वामित्व में रखने और उपयोग करने वाली	
	मशीनरी, औजारों, उपसाधनों के ब्यौरे	
11.	इंतजाम की गई ढलाई / कर्मशाला सुविधा के	
	ब्योरे क्या स्वामित्व, दीर्घकालीन पट्टा इत्यादि।	
	I	

1	2	3
12.	महत्वपूर्ण भागों इत्यादि की स्टील को ढाल कर	
	और उसकी कठोरता जॉचने की सुविधाएं या	
	अन्य साधन	
13.	विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता	
14.	सरकार या वित्तीय संस्था से प्राप्त उधार के	
	ब्यौरे। यदि हां तो ब्यौरे दीजिए।	
15.	बैंकरों के नाम, यदि कोई हों	
16.	मू.प.क. / विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्या /	
	के.वि.क.संख्या / वृतिक कर रजिस्ट्रीकरण	
	संख्या / आई.टी. संख्या।	
17.	क्या आपने पूर्व में कभी विनिर्माता की अनुज्ञप्ति	
	के लिए आवेदन किया है ? यदि हां तो कब	
	और परिणाम सहित ब्यौरा दीजिए ?	
18.	(क) क्या विनिर्मित किये जाने के लिए	
	प्रस्तावित वस्तुओं का विक्रय राज्य के	
	भीतर या राज्य के बाहर या दोनों	
	स्थानों पर होगा ?	
	(ख) भारत सरकार से प्राप्त मॉडल अनुमोदन के	
	ब्यौरे;	
	(ग) आप कब अपने उत्पादों के नमूने निरीक्षण	
	के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनके लिए	
	अनुज्ञप्ति चाही गयी है ?	

# आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाये

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उसका और उसके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूं / हैं।

19(22)	राजस्थान	राज–पत्र,	मई 4,	2011		भाग 4	(ग)
	न अनुज्ञापत्र !						
	गीघ्र सरकार व	गे अनुसूचि	वेत अनुइ	ाप्ति फी	स निक्षि	प्त करा	ने के
लिए सहमत हूं	•						
	दी गयी समस	त सूचना	मेरी / ह	मारी सव	र्गोत्तम	जानकार	री के
अनुसार सत्य	है						
स्थान :							
तारीख :							
				ह	स्ताक्षर	और पर	दनाम
राज	त्य सरकार के	विभागीय	अधिकारी	ो द्वारा भ	ारा जा	ये	
	प्ति की तारीख			:			
आवेदन का क				:			
नेरीक्षण की त	ारीख			:			
नेरीक्षण अधिक	गरी की सिफार्ग	रेश		:			
स्थान :							
तारीख :							
		निरीक्षण	। अधिका	री के ह	स्ताक्षर	और पव	नाम
	अनुज्ञापन	प्राधिकारी	के अंति	म आदेश	T		
· · ·	,						
अनुज्ञप्ति मंजूर			:				
अनुज्ञप्ति संख्य			:				
		तक वि	धमान्य				
स्थान :							
तारीख :							
				हस्ता	भर औ	र पदनाम	Ŧ

# प्ररूप एल. आर.–1

[विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के मरम्मतकर्त्ता के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन}

प्रेषिति,

		आवेदक द्वारा	निरीक्षण करने वाले
		भरा जाये	अधिकारी की टिप्पणी
	1	2	3
1.	अनुज्ञप्ति चाहने वाले	:	
	समुत्थान का नाम		
2.	कर्मशाला का पूरा पता	:	
3.	(क) क्या परिसर स्वयं का	:	
	है / किराये पर है / पट्टे		
	पर लिया गया है,		
	दस्तावेजों द्वारा सम्यक रूप		
	से समर्थित।		
	(ख) स्थापन की तारीख	:	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों)	:	
	और / या भागीदारों और		
	लिमिटेड कम्पनी की दशा में		
	प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों)		
	का नाम, उनके पिता/पति		
	के नाम और पते		
5.	दुकान / स्थापन / वर्तमान	:	
	नगरपालिक व्यापार		
	अनुज्ञप्ति की संख्या और		
	तारीख		
6.	वृत्तिक कर/आई.टी.	:	
	रजिस्ट्रीकरण संख्या		
	इत्यादि, यदि कोई हो।		
7.	मरम्मत के लिए प्रस्तावित	:	
	बाटों और मापों के प्रकार		

### आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाये

यदि हां तो कब और क्या .....

परिणाम रहे ?

के लिए आवेदन किया है ? .....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उसका या उसके अधीन जारी किये गये या जारी

भाग 4 (ग) राजस्था	न राज—पत्र, मई ४, २०११	19(25)
	गादेशों और अनुदेशों का पालन व	करने के लिए
सहमत हूं / हैं। मैं / हम अनुज्ञापन प्र	ाधिकारी द्वारा ऐसा करने की	अपेक्षा किये
जाने पर यथाशीघ्र सरकार के	ो अनुसूचित अनुज्ञप्ति फीस निक्षि	
लिए सहमत हूं / हैं।	, o , o , x	0 \
	त सूचना मेरी / हमारी सर्वोत्तम	जानकारी के
अनुसार सत्य है।		
स्थान :		
तारीख :		
	हस्ताक्षर	और पदनाम
गाना सरकार के ी	विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जा	जे
राज्य संस्कृति क	प्रमाणाय जायपगरा क्षारा गरा जा	Ч
आवेदन की प्राप्ति की तारीख	:	
आवेदन का क्रम संख्यांक	:	
नेरीक्षण की तारीख	:	
नेरीक्षण अधिकारी की सिफारि	रेश :	
स्थान :		
तारीख :		
	निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर	और पदनाम
अनुज्ञापन !	प्राधिकारी के अंतिम आदेश	
मंजूर / नामंजूर अनुज्ञप्ति		
नजूर जनुज्ञारा अनुज्ञप्ति संख्यांक		
•	तक विधिमान्य	
स्थान :		
तारीख :		
	हस्ताक्षर	और पदनाम

#### प्ररूप एल.डी 1

[विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों में व्यवहारियों के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप}

प्रेषिति,

		आवेदक द्वारा	निरीक्षण अधिकारी
		भरा जाये	की टिप्पणी
	1	2	3
1	अनुज्ञप्ति चाहने वाले	:	
	स्थापन/ दुकान/ व्यक्ति		
	का नाम।		
2	स्थापन इत्यादि का पूरा	:	
	पता।		
3.	स्थापन की तारीख ।	:	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों)	:	
	और/ या भागीदारों और		
	लिमिटेड कम्पनी की दशा में		
	प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों)		
	का नाम और पता (पते)		
5.	वर्तमान दुकान/ स्थापन/	:	
	नगरपालिक व्यापार अनुज्ञप्ति		
	के रजिस्ट्रीकरण की संख्या		
	और तारीख		
6.	वर्तमान में विक्रीत / विक्रय	:	
	किये जाने के लिए प्रस्तावित		
	बाटों और मापों के प्रवर्ग।		
7.	मू.प.क. / के.वि.कर / विक्रय	:	
	कर/वृत्तिक कर/ आयकर		
	की रजिस्ट्रकरण संख्या।		

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसार सत्य है।

स्थान : तारीख :

		आवेदक	द्वारा	निरीक्षण	अधिकारी
		भरा जाये		की टिप्प	णी
	1	2			3
1	विनिर्माण करने वाले	:			
	समुत्थान का नाम और पूरा				
	पता जिसके लिए अनुज्ञप्ति				
	का नवीकरण चाहा गया है।				

1	2	3
2	विनिर्माण अनुज्ञप्ति सं.	:
3.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों)	:
	और / या भागीदारों और	
	लिमिटेड कम्पनी की दशा में	
	प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों)	
	और उनके पिता/पति का	
	नाम और पता (पते)	
4.	(क) बाटों और मापों के	:
	प्रकार जो मंजूर की गयी	
	अनुज्ञप्ति के अनुसार	
	विनिर्मित किये जाते हैं।	
	(ख) क्या आप किसी	:
	परिवर्तन का प्रस्ताव करते	
	हैं ?	
5.	आपके द्वारा विनिर्मित बाटों	:
	और मापों पर प्रयुक्त	
	मोनोग्राम या व्यापार चिह्न।	
	·	
6.	उपलब्ध कर्मशाला सुविधाओं	:
	का ब्यौरा।	
7.	गत 5 वर्षों में उत्पादन और	:
	विक्रयों का ब्यौरा।	
8.	दुकान / स्थापन का	:
	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और	
	तारीख।	
9.	मू.प.क. / विक्रय कर / के.	:
	वि.क. / वृत्तिक कर आयकर	
	का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक।	

# आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाये

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान
अधिनियम, 2009 और राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011
को पढ़ लिया है और उसका या उसके अधीन जारी किये गये या जारी
किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का पालन करने के लिए
सहमत हूं / हैं।
मैं / हमने नियत अनुज्ञप्ति फीसरु. (रुपये)
उपकोष / बैंक में को जमा
करा दी है और उसका मूल चालान संलग्न है।
ऊपर दी गयी समस्त सूचना मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी के
अनुसार सत्य है।
स्थान :
तारीख :
हस्ताक्षर और पदनाम

#### प्ररूप एल. आर.-2

[विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के मरम्मतकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन}

प्रेषिति,

		आवेदक द्वारा	निरीक्षण	अधिकारी
		भरा जाये	की टिप्पप	गी
	1	2	;	3
1.	अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहने	:		
	वाले मरम्मतकर्ता			
	समुत्थान/व्यक्ति का नाम			
	और पूरा पता			
2.	मरम्मतकर्ता का अनुज्ञप्ति	:		
	संख्यांक			

1	2	3
3.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों)	:
	और / या भागीदारों और	
	लिमिटेड कम्पनी की दशा में	
	प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का	
	नाम, उनके पिता / पति का	
	नाम और पता (पते) ;	
4.	वर्तमान दुकान/स्थापन/	:
	नगरपालिक व्यापार अनुज्ञप्ति	
	की रजिस्ट्रीकरण संख्या और	
	तारीख ।	
5.	मू.प.क. / विक्रय कर / के.वि.	:
	क./वृत्तिक कर/आयकर	
	की रजिस्ट्रीकरण संख्यांक।	
6.	(क) मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति	:
	के अनुसार मरम्मत किये गये	
	बांटों और मापों के प्रकार।	
	(ख) क्या आप किसी परिवर्तन	:
	का प्रस्ताव करते हैं।	
7.	क्षेत्र जिसमें आप प्रचालन कर	:
	रहे हैं।	
8.	क्या आपके पास लोन	:
	सेट्स / परीक्षण बाटों, इत्यादि	
	का पर्याप्त स्टाक है ?	
9.	कृपया स्टाम्प करने की	:
	विशिष्टियों सहित ब्यौरा	
	दीजिए।	

#### आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाये

	जायपर्यं (जायपर्यंग) श्वारा प्रशानित विर	11 0114
को पढ़ किये ज सहमत	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने 1म, 2009 और राजस्थान विधिक मापविज्ञान लिया है और उसका और उसके अधीन जा 11ने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का हूं/हैं। मैंने/हमने नियत अनुज्ञप्ति फीस उपकोष/बैंक में उपर दी गयी समस्त सूचना मेरी/हमारी अ	(प्रवर्तन) नियम, 2011 री किये गये या जारी पालन करने के लिए रु. (रुपये) को जमा करा
अनसार	सत्य है।	
•		
क्र.स.	आवेदक द्वारा भरा जाये	निरीक्षण अधिकारी
٠, ١١.	911447 GIVI IVI 9114	की टिप्पणी
1	2	3
1.	अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहने वाले स्थापन/दुकान/	
	व्यक्ति का नाम।	
2.	व्यवहारी का अनुज्ञप्ति संख्यांक	
3.	स्थापन की तारीख	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और / या भागीदारों	

(निदेशकों) का नाम, पिता / पित का नाम

और उनका पता (पते)

भाग ४	(ग)	राजस्थान राज–पत्र, मई 4, 2011	19(33)
5.		पन / वर्तमान	\/
<b>.</b>	•	व्यापार अनुज्ञप्ति का	
		। संख्यांक और तारीख।	
6.		वेकीत बाटों और	
<b>.</b>	मापों के प्रव		
7.		 क. / विक्रय कर / वृत्तिक कर /	
		ो रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
8.		ज्य / देश से बाहर	
<b>.</b>		। बाटों और मापों इत्यादि का	
		न के इच्छुक हैं ? यदि हां तो	
		/ देश (देशों) से आपूर्ति के स्त्रोत	
	उपदर्शित क	. ,	
आर उर	नका अनुज्ञाप्त	ा संख्यांक का ब्यौरा दीजिए।)	
	आवेद	क (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया	जाये
प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 और राजस्थान विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उसका या उसके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का पालन करने के लिये सहमत हूं/हैं।			
		नियत अनुज्ञप्ति फीस	रु. (रुपये)
		उपकोष / बैंक में	
		ल चालान संलग्न है।	
		ई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्व	त्तिम जानकारी के
अनुसार	सत्य है।	<del>-</del> -	

स्थान : तारीख :

हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-3 {नियम 11 (3) देखिए} अनुज्ञापन प्ररूप प्ररूप एल. एम.—3

## राजस्थान सरकार नियन्त्रक विधिक मापविज्ञान कार्यालय

बाटों, मापों तौलने या मापने के उपकरणों के विनिर्माण की		
अनुज्ञप्ति		
अनुज्ञप्ति संख्या–वर्षवर्व		
1. नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान निम्नलिखित के विनिर्माण करने के लिए		
श्री(पक्षकार या पक्षकारों का नाम और पता) को		
इसके द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूर करता है:		
(बाटों, मापों, तौलने के उपकरणों या मापने के उपकरणों का, जो		
पक्षकार द्वारा विनिर्मित किये जाने के लिये अनुज्ञप्त हैं, ब्यौरा सम्मिलित		
करें)		
2. अनुज्ञप्तिपर स्थित उसकी कर्मशाला के		
सम्बन्ध में ऊपर लिखित पक्षकार के लिये विधिमान्य है।		
3. यह अनुज्ञप्तितक विधिमान्य है।		
4. विनिर्माता नीचे लिखी गई शर्तो का पालन करेगा। यदि वह इनमें से		
किसी शर्त का पालन करने में विफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति		
रद्दकरण की दायी होगी		
5. विनिर्माता द्वारा उपयोग किये जाने वाला व्यापार चिन्ह् मोनोग्राम		
निम्नलिखित होगा।		
(मुहर)		
हस्ताक्षर		
तारीख नियन्त्रक विधिक मापविज्ञान		
राजस्थान सरकार		
स्थान		
टिप्पणः फर्म की दशा में उसके नाम के साथ कारबार में हित रखने वाले		

समस्त व्यक्तियों के नाम, पैरा 1 में दिये जाने चाहियें।

#### अनुज्ञप्ति की शर्ते

- 1. व्यक्ति जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की गई है।
  - (क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम और नियमों के समस्त सुंसंगत उपबन्धों का पालन करेगा:
  - (ख) समय–समय पर संशोधित अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित या समर्थित नहीं करेगा;
  - (ग) इस अनुज्ञप्ति को परिसर, जिससे यह सम्बन्धित है, के सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा:
  - (घ) नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान द्वारा दिये गये सामान्य या विशेष निदेशों का पालन करेगा:
  - (ड.) कारबार के बन्द होने और / या अनुज्ञप्ति के रद्द होने की दशा में अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा;
  - (च) विक्रय से पूर्व राज्य के भीतर विनिर्मित और उपयोग के लिये तात्पर्यित बाटों, मापों, तौलने या, यथास्थिति, मापने के उपकरणों को सत्यापित और स्टाम्पित करने के लिये विधिक मापविज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा
  - (छ) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति के तीस दिन के भीतर-भीतर इन नियमों के अधीन यथा-अपेक्षित इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 2. इस अनज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्र में अधिसूचित है, उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी जिन्हें यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है।

#### नवीकरण प्रविष्टियां

वर्तमान संतारीख	वर्तमान संतारीख
के लिये नवीकृत	के लिये नवीकृत
मुहर	मुहर
नियन्त्रक	नियन्त्रक
विधिक मापविज्ञान	विधिक मापविज्ञान
वर्तमान संतारीख	वर्तमान संतारीख
के लिये नवीकृत	के लिये नवीकृत
मुहर	मुहर
नियन्त्रक	नियन्त्रक
विधिक मापविज्ञान	विधिक मापविज्ञान

(मुहर)

वर्तमान संतारीख	वर्तमान संतारीख	
के लिये नवीकृत	के लिये नवीकृत	
मुहर	मुहर	
नियन्त्रक	नियन्त्रक	
विधिक मापविज्ञान	विधिक मापविज्ञान	

#### अनुज्ञापन प्ररूप

प्ररूप एल. आर.–3

राजस्थान–सरकार

नियत्रक, विधिक मापविज्ञान कार्यालय,		
बाटों, मापों, तौलने के उपकरणों या मापने के उपकरणों की मरम्मत के		
	लिए अनुज्ञप्ति	
अन्	वर्षवर्ष	
1.	नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान निम्नलिखित की मरम्मत के लिए	
	(पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) को इसके द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूर	
	करता है :	
	(बाटों, मापों, तौलने के उपकरणों या मापने के उपकरणों का, जो	
	पक्षकार द्वारा मरम्मत किये जाने के लिए अनुज्ञप्त हैं, के प्रकारों का	
	ब्योरा सम्मिलित करें)	
2.	अनुज्ञप्तिपर स्थित उसकी कार्यशाला के संबंध में ऊपर	
	नामित पक्षकार के लिए विधिमान्य है।	
3.	यह अनुज्ञप्तितक विधिमान्य है।	
4.	मरम्मतकर्ता नीचे वर्णित शर्तों का पालन करेगा। यदि वह किसी शर्त	
	का भी पालन करने में विफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्दकरण	
	की दायी होगी।	
5.	पक्षकार, नीचे वर्णित क्षेत्रों में बाटों, मापों तौलने और मापने के	
	उपकरणों की मरम्मत के लिए अनुज्ञप्त है :	
	(हस्ताक्षर)	
	नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान	
	राजस्थान सरकार	

तारीख :

टिप्पणः फर्म की दशा में उसके नाम के साथ कारबार में कोई हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पेरा (1) में दिये जाने चाहिए।

### अनुज्ञप्ति की शर्तें

- 1. व्यक्ति जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की गयी है,-
  - (क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम और नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का पालन करेगा;
  - (ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित या समर्थित नहीं करेगा;
  - (ग) इस अनुज्ञप्ति को परिसर, जिससे यह संबंधित है, के सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा;
  - (घ) नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान द्वारा दिये गये सामान्य या विशेष निदेशों का पालन करेगा;
  - (ड.) कारबार के बन्द होने और / या अनुज्ञप्ति के रद्द होने की दशा में अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा ;
  - (च) (i) उपयोक्ता को परिदान से पूर्व सम्यक् रूप से मरम्मत किये हुए बाट, माप, तौलने या, यथास्थिति, मापने के उपकरण नियम 14 के उप—िनयम (1) में यथा विर्निदिष्ट सत्यापन और स्टाम्पित करने के लिए विधिक मापविज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
    - (ii) जिस तारीख को सत्यापन नियत हो उससे पूर्व यदि बाटों, मापों, तौलने या मापने के उपकरणों की सर्विस/मरम्मत की जाती है और उस प्रक्रिया में विधिक मापविज्ञान अधिकारी की सत्यापन स्टाम्प विरूपित, हटायी या तोड़ी जाती है तो उन्हें उपयोक्ता को परिदान से पूर्व पुनः सत्यापित और स्टाम्पित करने के लिए विधिक मापविज्ञान अधिकारी को सम्यक् रूप से मरम्मत कर प्रस्तुत किया जायेगा।
  - (छ) इस अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 2. इस अनुज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्र में अधिसूचित है, उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी जिन्हें यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है।

### प्रविष्टियों का नवीकरण

वर्तमान संतारीखके	वर्तमान संतारीखके
लिये नवीकृत	लिये नवीकृत
मुहर	मुहर
नियन्त्रक	नियन्त्रक
विधिक मापविज्ञान	विधिक मापविज्ञान
वर्तमान संतारीख के	वर्तमान संतारीखके
0 \ 0	
लिये नवीकृत	लिये नवीकृत
लियं नवीकृत मुहर	लिये नवीकृत मुहर
	C

### अनुज्ञापन प्ररूप प्ररूप एल. डी. 3

## राजस्थान सरकार नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान कार्यालय बाटों, मापों, तौलने के उपकरणों या मापने के उपकरणों के व्यवहारी को अनज्ञप्ति

अन्	ज्ञप्ति सं वर्ष
1.	नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, निम्नलिखित में व्यवहार करने के लिए
	मैसर्स(पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) के
	इसके द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूर करता है :-
	(बाटों, और मापों, तौलने या मापने के उपकरणों के प्रकार का, जं
	पक्षकार द्वारा व्यवहार किये जाने के लिए अनुज्ञप्त है, ब्यौरा उपदर्शित
	करें)
2.	यह अनुज्ञप्तिपर स्थित
	उसके परिसर के संबंध में ऊपर नामित पक्षकार के लिए विधिमान्य है।
3.	यह अनुज्ञप्तितक विधिमान्य है।

4. व्यवहारी नीचे वर्णित शर्तों का पालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी का भी पालन करने में विफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्दकरण की दायी होगी।

(मुहर)	(हस्ताक्षर)
तारीख	नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान
	राजस्थान सरकार
स्थान	तारीख

टिप्पण : फर्म की दशा में उसके नाम सिहत समस्त व्यक्तियों के नाम जो कारबार में कोई हित रखते हों, पैरा (1) में दिये जाने चाहिए।

### अनुज्ञप्ति की शर्तें

- 1. व्यक्ति, जिनके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की गयी है, -
  - (क) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम और नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का पालन करेंगे;
  - (ख) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन को प्रोत्साहित या समर्थित नहीं करेगा;
  - (ग) इस अनुज्ञप्ति को परिसर, जिससे यह संबंधित है, के सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा
  - (घ) नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान द्वारा दिये गये सामान्य या विशेष निदेशों का पालन करेगा;
  - (ङ) कारबार के बंद होने और / या अनुज्ञप्ति के रद्द होने की दशा में अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा;
  - (च) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर—भीतर इन नियमों के अधीन यथा अपेक्षित इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा;
  - (छ) किसी अमानक बाट या माप का विक्रय या उसका प्रस्ताव नहीं करेगा, अभिदर्शित या विक्रय के लिए नहीं रखेगा।
- 2. इस अनुज्ञप्ति के जारी होने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्र में अधिसूचित है, उन व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी जिन्हें यह अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है।

#### नवीकरण प्रविष्टियाँ

वर्तमान संतारीख	वर्तमान संतारीख
के लिये नवीकृत	के लिये नवीकृत
मुहर	मुहर
नियन्त्रक	नियन्त्रक
विधिक मापविज्ञान	विधिक मापविज्ञान
वर्तमान संतारीख	वर्तमान संतारीख
के लिये नवीकृत	के लिये नवीकृत
मुहर	मुहर
नियन्त्रक	नियन्त्रक
विधिक मापविज्ञान	विधिक मापविज्ञान
वर्तमान संतारीख	वर्तमान संतारीख
के लिये नवीकृत	के लिये नवीकृत
मुहर	मुहर
नियन्त्रक	नियन्त्रक
विधिक मापविज्ञान	विधिक मापविज्ञान

## अनुसूची –4 { नियम 11(4) और (5) देखिए }

#### राजस्थान सरकार

### नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान कार्यालय

बाटों और मापों के विनिर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं या व्यवहारियों के लिए अनुज्ञापन और नवीकरण फीस

(i)	विनिर्माता	1000 / — रुपये प्रतिवर्ष
(ii)	मरम्मतकर्त्ता	500 / — रुपये प्रतिवर्ष
(iii)	व्यवहारी	500 / — रुपये प्रतिवर्ष

को अनुज्ञप्ति जारी करने / नवीकरण करने के लिए।

## अनुसूची-5 [नियम 11(6) देखिए]

### राजस्थान सरकार

### नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान कार्यालय

बाटों, मापों, तौलने / मापने के उपकरणों के अनुज्ञप्त विनिर्माताओं /
मरम्मतकर्ताओं / व्यवहारियों का रजिस्टर
कार्यालय

- 1	_	_	10 0 r		0 0 0			_		
	-			स्थान जहां		_	_		सक्षम	अभ्यु—
	संख्या	नवीकरण	मरम्मत—	कर्मशाला /	मरम्मत /	किये	के	के	प्राधि—	क्तियां
		की	कर्ता /	कारखाना	विक्रय की	गये	रद्दकरण	परिणाम	कारी के	
		तारीख	व्यवहारी	स्थित है।	जाने वाली	व्यापार	करने		हस्ताक्षर	
			का नाम		वस्तुएं	चिह्न /	संबंधी			
			और पूरा		_	मोनो–				
			पता			ग्राम				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

टिप्पण : स्तम्भ (4) व्यवहारियों को लागू नही होता है, स्तम्भ (6) मरम्मतकर्ताओं और व्यवहारियों को लागू नही होता है।

### अनुसूची—6 **[नियम 11(8) देखिए**] राजस्थान सरकार

## नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान कार्यालय

अनुज्ञप्तिधारी मरम्मतकर्ता द्वारा किया जाने वाला प्रतिभूति निक्षेप तौलने और मापने के उपकरणों 500.00 रुपये को सम्मिलित करते हुए बाटों और मापों का मरम्मतकर्ता

## अनुसूची –7 {नियम 13 देखिए}

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
बाटों और मापों के विनिर्माताओं द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर।
1. विनिर्माता का नाम और पता
2. बाट और माप का विवरण
3. (i) विनिर्माण अनुज्ञप्ति की सं.
(ii) तारीख जिसको अनुज्ञप्ति जारी की गई
(iii) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की कालावधि
4. अनुज्ञप्ति निलम्बित या प्रतिसंहृत करने वाला आदेश, यदि कोई हो
की विशिष्टियां

क्र.स.	मास	पूववर्ती मास	मास के	कुल	राज्य के भीतर विक्रीत		
		से बिना	दौरान	3+4	विक्रीत	प्रेषित वाउचर	
		विक्रय किया	विनिर्माण		मदों की	की सं. और	
		हुआ स्टाक	की मात्रा		सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	

राज्य से	बाहर विक्रीत	प्रेषित वाउचर	कुल विक्रय	अतिशेष	अभ्युक्तियां
राज्य का	विक्रीत मदों	की सं. और	(6+9)	(5—11)	
नाम	की सं.	दिनांक			
8	9	10	11	12	13

### प्ररूप एल. आर–4

बाटों, मापों के संबंध में मरम्मतकर्ता द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर।

मरम्मतकर्ता	का	नाम	और	पता		अ	नुज्ञप्ति	सं.	
					अनज्ञापन	की	दिनांक		

क.सं.	दिनांक	उपयोक्ता का	मरम्मत के लिए	उपयोक्ता को जारी
		नाम जिससे	बुक की गयी मदें	किये जाने की रसीद
		प्राप्त किया गया	और उनकी सं.	सं. और दिनांक
1	2	3	4	5

मरम्मत	सत्यापन	प्रभारित कुल	उपयोक्ता को लौटाये	अभ्युक्तियां
प्रभारों की	फीस की	रकम	जाने की दिनांक	
रकम	रकम			
6	7	8	9	10

## प्ररूप एल. डी–4

बाटों ३	और मापों के व्यवहारी द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर।
1.	व्यवहारी का नाम और पता
2.	बाट और माप का विवरण
3.	(i) व्यवहारी अनुज्ञप्ति संख्या
	(ii) वह दिनांक जिसको अनुज्ञप्ति जारी की गई
	(iii) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की कालावधि
4.	अनुज्ञप्ति निलम्बित या प्रतिसंहत करने वाला आदेश, यदि कोई हो,
	की विशिष्टियां
5.	बाट और माप का प्रवर्ग
	(मतर्म क स स्व)

क.	मास	पूर्ववर्ती मास	मास के	मास के	कुल
स.		से बिना	दौरान राज्य	दौरान राज्य	(3+4+5)
		विक्रय किया	के भीतर से	के बाहर से	
		हुआ स्टाक	लाया गया	लाया गया	
1	2	3	4	5	6

राज्य	राज्य के भीतर		राज्य के बाहर विकीत		कुल	अतिशेष	अभ्युक्तियां
विकीत					विक्रीत	(6-12)	
विक्रीत	प्रेषित	विक्रीत	प्रेषित	राज्य	(7+9)		
मदों	वाउचर सं.	मदों	वाउचर सं.	का नाम			
की सं.	और	की सं.	और दिनांक				
	दिनांक						
7	8	9	10	11	12	13	14

## अनुसूची-8 [नियम 15 (3) देखिए] राजस्थान सरकार नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान कार्यालय सत्यापन का प्रमाण-पत्र

विधिक मापविज्ञान अधिकारी का नामसससस.									
में इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने आज निम्नलिखित बाटों, मापो									
इत्या	इत्यादि को सत्यापित और स्टाम्पित / नामंजूर किया है ।								
	परिक्षेत्रपरिक्षेत्रपरिक्षेत्रपरिक्षेत्र								
मात्रा	अभि	धान		तौल	उपकरण		मापन	सत्यापन	वहन,
	बाट	माप	क्षमता	वर्ग	विनिर्माता	प्रकार	उपकरण	फीस	सवारी
								रुपये	समायोजन
								पैसे	प्रभार्य
									इत्यादि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कोषागार रसीद / नकद रसीद सं									
दिनांक द्वारा जमा कुल रुपये द्वारा									
मरम्मत / प्रयुक्त किया गया									
(हस्ताक्षर )									
आगा	मी स	त्याप	न दिनां	क			को नियत	। है।	

विधिक मापविज्ञान अधिकारी

टिप्पण:--नामंजूर बाट, माप इत्यादि की दशा में विधिक मापविज्ञान अधिकारी प्रत्येक मद के विरूद्व नामंजूरी के कारणों को उल्लेखित करते हुए नामंजूरी का पृथक् प्रमाण-पत्र देगा।

### अनुसूची-9

[नियम 16 (1)देखिए]

बाट और माप और तौलने और मापने के उपकरणों के सत्यापन और उन्हें स्टाम्पित करने के लिए संदेय फीस

### 1. (क) सोना-चांदी (बुलियन) बाट

अभिधान	फीस प्रति नग (रुपये में)
(1)	
10 किलोग्राम	30.00
5 किलोग्राम	20.00
2 किलोग्राम	20.00
1 किलोग्राम	20.00
500 ग्राम	15.00
200 ग्राम	15.00
100 ग्राम	15.00
50 ग्राम	15.00
20 ग्राम	15.00
10 ग्राम	15.00
5 ग्राम	15.00
2 ग्राम	15.00
1 ग्राम	15.00

### (ख) कैरट बाट

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

20 मिली ग्राम (0.1 कैरट)	20.00
10 मिली ग्राम (0.05 कैरट)	20.00
4 मिली ग्राम (0.02 कैरट)	20.00
2 मिली ग्राम (0.01 कैरट)	20.00
1 मिली ग्राम (0.005 कैरट)	20.00

## (ग) बेलनाकार घुण्डी युक्त बाट (पीतल के बाट सहित)

अभिधान	फीस प्रति नग (रुपये)
(1)	(2)
10 किलोग्राम	20.00
5 किलोग्राम	20.00
2 किलोग्प्रम	20.00
1 किलोग्राम	20.00
500 ग्राम	10.00
200 ग्राम	10.00
100 ग्राम	10.00
50 ग्राम	10.00
20 ग्राम	10.00
10 ग्राम	10.00
5 ग्राम	10.00
2 ग्राम	10.00
1 ग्राम	10.00

## (घ) धातु-पत्र बाट (सोना-चांदी (बुलियन) और सोना-चांदी (बुलियन) से भिन्न)

अभिधान	फीस प्रति नग (रुपये)		
(1)	(2)		
	सोना-चांदी	सोना—चांदी (बुलियन) से	
	(बुलियन) बाट	भिन्न बाट	
500 मिली ग्राम	10.00	5.00	
200 मिली ग्राम	10.00	5.00	
100 मिली ग्राम	10.00	5.00	
50 मिली ग्राम	10.00	5.00	
20 मिली ग्राम	10.00	5.00	

10 मिली ग्राम	10.00	5.00
5 मिली ग्राम	10.00	5.00
2 मिली ग्राम	10.00	5.00
1 मिली ग्राम	10.00	5.00

## (ड.) लोहे के षट्कोणीय, लट्टू के प्रकार के बाट और समानांतर फलकी बाट

अभिधान	फीस प्रति नग (रुपये)
(1)	(2)
50 किलोग्राम	25.00
20 किलोग्राम	20.00
10 किलोग्राम	20.00
5 किलोग्राम	20.00
2 किलोग्राम	15.00
1 किलोग्राम	10.00
500 ग्राम	5.00
200 ग्राम	5.00
100 ग्राम	5.00
50 ग्राम	5.00
20 ग्राम	5.00
10 ग्राम	5.00
5 ग्राम	5.00
2 ग्राम	5.00
1 ग्राम	5.00

## (च) उच्च क्षमता तौल मशीनों के परीक्षण के लिए मानक बाट

अभिधान	0.5 / 10000 मेक्स	रुपये में 3.3 / 10000,
	अनुज्ञेय	1.7 / 10000 और 1.0 /
	समानुपातिक त्रुटि	10000 मेक्स अनुज्ञेय
	के लिए तत्समान	समानुपातिक त्रुटि के लिए
	फीस (रुपये)	तत्समान फीस (रुपये)
100 किलोग्राम	75.00	50.00
200 किलोग्राम	150.00	100.00
500 किलोग्राम	300.00	200.00

1000 किलोग्राम	750.00	500.00
2000 किलोग्राम	1500.00	1000.00
5000 किलोग्राम	3000.00	2000.00

#### 2. क्षमता माप:

अभिधान	फीस प्रत्येक नग (रुपये)
(1)	(2)
100 लीटर और अधिक	अधिकतम 5000 रुपये के अध्यधीन
	रहते हुए प्रथम 100 लीटर के
	लिए 57 रुपये और प्रत्येक
	अतिरिक्त 100 लीटर या उसके
	भाग के लिए 7 रुपये
50 लीटर	50.00
20 लीटर	20.00
10 लीटर	20.00
5 लीटर	20.00
2 लीटर	20.00
1 लीटर	20.00
500 मिली लीटर	10.00
200 मिली लीटर	10.00
100 मिली लीटर	10.00
50 मिली लीटर	10.00
20 मिली लीटर	10.00
10 मिली लीटर	10.00
5 मिली लीटर	10.00
2 मिली लीटर	10.00
1 मिली लीटर	10.00

# 3. लम्बाई माप :

## (क) गैर-नमनीय -

अभिधान	फीस प्रत्येक नग (रुपये)
(1)	(2)
2 मीटर	10.00

भाग 4 (	(ग)	राजस्थान	राज–पत्र,	मई .	4.	2011
11 1 7 1	\ '/	(1 0 1 ( -11 1	(101 171,	1.6	т,	2011

1 मीटर	10.00
0.5 मीटर	20.00
1 मीटर अंशांकित (प्रत्येक	20.00
सेन्टीमीटर पर)	
0.5 मीटर अंशांकित (प्रत्येक	20.00
सेन्टीमीटर पर)	

19(49)

## (ख) फैब्रिक प्लास्टिक / बुना हुआ / इस्पात टेप –

सुग्राहिता वर्ग	रुपये में प्रत्येक मीटर फीस
(1)	(2)
वर्ग—ा	10.00
वर्ग—ाा	10.00
वर्ग—ाा	5.00

## (ग) फोल्डिंग स्केल –

अभिधान	प्रत्येक मद फीस (रुपये)
(1)	(2)
1 मीटर	10.00
0.5 मीटर	10.00

## (घ) सर्वेक्षण करने वाली चैन -

अभिधान	फीस प्रत्येक नग (रुपये )
(1)	(2)
30 मीटर	100.00
20 मीटर	100.00

## 4. तुलादण्ड वर्ग अ और ब :

•	
अभिधान	प्रत्येक मद फीस (रुपये )
(1)	(2)
200 किलोग्राम	400.00
100 किलोग्राम	300.00
50 किलोग्राम	150.00

9(50)	राजस्थान राज–पत्र, मई 4, 2011	भाग 4 (ग)
- \ /		

20 किलोग्राम	150.00
10 किलोग्राम	150.00
5 किलोग्राम	100.00
2 किलोग्राम	100.00
1 किलोग्राम	100.00
500 ग्राम और उससे कम	60.00

# 5. तुलादण्ड वर्ग स और द :

अभिधान	फीस प्रत्येक नग (रुपये )		
(1)	(2)		
1000 किलोग्राम	200.00		
500 किलोग्राम	200.00		
300 किलोग्राम	200.00		
200 किलोग्राम	100.00		
100 किलोग्राम	100.00		
50 किलोग्राम	20.00		
20 किलोग्राम	20.00		
10 किलोग्राम	20.00		
5 किलोग्राम	15.00		
2 किलोग्राम	15.00		
1 किलोग्राम	15.00		
500 ग्राम और उससे कम	10.00		

# 6 गैर-स्वचालित तोलन उपकरण-यांत्रिक (अनुरूप) वर्ग III और IV:

400 मैट्रिक टन	4000.00
300 मैट्रिक टन	3000.00
200 मैट्रिक टन	3000.00
१५० मैट्रिक टन	2000.00
100 मैट्रिक टन	2000.00
80 मैट्रिक टन	2000.00
60 मैट्रिक टन	2000.00

50 मैट्रिक टन	2000.00	
४० मैट्रिक टन	2000.00	
30 मैट्रिक टन	2000.00	
25 मैट्रिक टन	2000.00	
20 मैट्रिक टन	2000.00	
15 मैट्रिक टन	2000.00	
10 मैट्रिक टन	1000.00	
5 मैट्रिक टन	500.00	
3 मैट्रिक टन	400.00	
2 मैट्रिक टन	400.00	
1500 किलोग्राम	300.00	
1000 किलोग्राम	300.00	
500 किलोग्राम	300.00	
300 किलोग्राम	200.00	
250 किलोग्राम	200.00	
200 किलोग्राम	100.00	
150 किलोग्राम	100.00	
100 किलोग्राम	100.00	
50 किलोग्राम	100.00	
30 किलोग्राम	100.00	
25 किलोग्राम	60.00	
20 किलोग्राम	60.00	
15 किलोग्राम	30.00	
10 किलोग्राम	30.00	
5 किलोग्राम	30.00	
3 किलोग्राम	30.00	
2 किलोग्राम	२ किलोग्राम 30.00	
1 किलोग्राम	15.00	
500 ग्राम और उससे कम	15.00	
1	•	

# 7. गैर-स्वचालित तोलन उपकरण-इलैक्ट्रोनिक वर्ग III और IV :

400 मैट्रिक टन	4000.00
३०० मैट्रिक टन	3000.00
200 मैट्रिक टन	3000.00
१५० मैट्रिक टन	2000.00
१०० मैट्रिक टन	2000.00
80 मैट्रिक टन	2000.00
60 मैट्रिक टन	2000.00
50 मैट्रिक टन	2000.00
४० मैट्रिक टन	2000.00
30 मैट्रिक टन	2000.00
25 मैट्रिक टन	2000.00
20 मैट्रिक टन	2000.00
15 मैट्रिक टन	2000.00
10 मैट्रिक टन	1000.00
5 मैट्रिक टन	1000.00
3 मैट्रिक टन	500.00
2 मैट्रिक टन	500.00
1500 किलोग्राम	
1000 किलोग्राम	250.00
500 किलोग्राम	250.00
300 किलोग्राम	200.00
250 किलोग्राम	200.00
200 किलोग्राम	200.00
150 किलोग्राम	200.00
100 किलोग्राम	200.00
50 किलोग्राम	200.00
30 किलोग्राम	200.00
25 किलोग्राम	200.00
20 किलोग्राम	100.00
15 किलोग्राम	100.00
10 किलोग्राम	100.00
5 किलोग्राम	100.00
3 किलोग्राम	100.00
2 किलोग्राम	100.00
1 किलोग्राम	100.00
500 ग्राम और उससे कम	100.00
	•

## 8. यांत्रिक (मैकेनिकल) और इलैक्ट्रोनिक वर्ग ${f I}$ और ${f II}$ के गैर-स्वचालित तौल उपकरण :

क्षमता	फीस (रुपये )
50 मैट्रिक टन से अधिक	3000.00
50 मैट्रिक टन से अनधिक किन्तु	2000.00
10 मैट्रिक टन से अधिक	
10 मैट्रिक टन से अनधिक किन्तु 1	1000.00
मैट्रिक टन से अधिक	
1 मैट्रिक टन से अनधिक किन्तु 50	500.00
किलोग्राम से अधिक	
50 किलोग्राम से अनधिक किन्तु	300.00
10 किलोग्राम से अधिक	
10 किलोग्राम से अनधिक	200.00

### 9. स्वचालित तोलन उपकरण:

क्षमता	फीस (रुपये )
100 मैट्रिक टन से अधिक	4000.00
100 मैट्रिक टन से अनधिक किन्तु	3000.00
50 मैट्रिक टन से अधिक	
50 मैट्रिक टन से अनधिक किन्तु 10	2000.00
मैट्रिक टन से अधिक	
10 मैट्रिक टन से अनधिक किन्तु 1	1000.00
मैट्रिक टन से अधिक	
1 मैट्रिक टन से अनधिक किन्तु 50	500.00
किलोग्राम से अधिक	
50 किलोग्राम से अनधिक किन्तु 10	250.00
किलोग्राम से अधिक	
10 किलोग्राम से अनधिक	200.00

#### आयतनीय मापने वाले उपकरण: 10.

(क) डिस्पेन्सिग पम्प प्रत्येक पम्प : 1000.00 रू. प्रत्येक यूनिट

(ख) टोटलाइजिंग काउंटर : 500.00 रू. प्रत्येक यूनिट

(ग) अन्य उपकरण

क्षमता	फीस (रुपये में )		
100 लीटर से अधिक	प्रथम 100 लीटर के लिए 500 रु.		
	और प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर		
	या इसके भाग के लिए रू. 250		
100 लीटर से अनधिक किन्तु	500.00		
50लीटर से अधिक			
50 लीटर से अनधिक किन्तु	250.00		
20लीटर से अधिक			
20 लीटर से अनधिक	200.00		

#### 11. प्रवाह मीटर :

100 लीटर/मिनट तक प्रवाह दर

2000.00 रुपये

100 लीटर / मिनट से अधिक 500 लीटर / मिनट तक 3000.00 रुपये 500 लीटर/मिनट से अधिक

5000.00 रुपये

#### 12. रैखिक मापक उपकरण :

टैक्सी ,आटोरिक्शा मीटर

100.00 रू.

अन्य मीटर

प्रथम 1000 मीटर अथवा इसके भाग के लिए 50 रू. तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर

या इसके भाग के लिए 5.00 रु.

13. नैदानिक तापमापी :

0.50 रुपये प्रति यूनिट

14. जल मीटर (वाटर मीटर):

25.00 रुपये प्रति यूनिट

#### 15. पैग माप :

30 मिली लीटर	50.00
60 मिली लीटर	50.00
100 मिली लीटर	50.00

16. सी एन जी डिस्पेन्सर: 1000.00 रु. प्रति यूनिट

17. एल पी जी डिस्पेन्सर : 1000.00 रु. प्रति यूनिट

18. काउन्टर मशीन :

(i) 10 किलोग्राम तक 20.00 रू.

(ii) 10 किलोग्राम से अधिक 50.00 रू.

## अनुसूची-10 (नियम 24 (1) देखिए)

### विधिक मापविज्ञान अधिकारी / नियंत्रक विधिक मापविज्ञान के आदेश के विरुद्ध अपील का प्ररूप

- 1. अपीलार्थी का नाम और पता
- 2. विधिक मापविज्ञान अधिकारी / नियत्रंक, विधिक मापविज्ञान के आदेश की संख्या और दिनांक, जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी है
- 3. क्या अपीलार्थी व्यक्तिशः या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने की वांछा करता है
- 4. अपील के आधार

### अनुसूची-11 (नियम 25 देखिए) विभिन्न अपराधों के लिए शमनीय फीस

अपराध की धारा और प्रकृति	दाण्डिक	शमनीय फीस
	धारा	(रुपये)
2	3	4
मानक बाट, माप या अंक से अन्यथा	25	2500.00
बाट, माप या अंक का प्रयोग धारा 8 (3)		
मानकों के अनुरूप नही आने वाले बाट	27	2000.00
या माप का विनिर्माण धारा 8(4)		
विहित के अलावा बाट माप या संख्या	28	1000.00
द्वारा माल इत्यादि के संबंध में		
संव्यवहार, व्यवहार या संविदा धारा 10		
बाट या माप या अंक की मानक यूनिट	29	1000.00
के अनुसार के अलावा कोट करना या		
घोषणा करना या मूल्य सूची को जारी		
करना या प्रदर्शित करना या मूल्य		
परिवर्तित करना। धारा—11		
संविदा या करार द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा	30	1000.00
से अधिक या कम कोई वस्तु या चीज		
की सेवा पर मांग करना या प्राप्त करना		
धारा 12		
	2 मानक बाट, माप या अंक से अन्यथा बाट, माप या अंक का प्रयोग धारा 8 (3) मानकों के अनुरूप नहीं आने वाले बाट या माप का विनिर्माण धारा 8(4) विहित के अलावा बाट माप या संख्या द्वारा माल इत्यादि के संबंध में संव्यवहार, व्यवहार या संविदा धारा 10 बाट या माप या अंक की मानक यूनिट के अनुसार के अलावा कोट करना या घोषणा करना या मूल्य सूची को जारी करना या प्रदर्शित करना या मूल्य परिवर्तित करना। धारा—11 संविदा या करार द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक या कम कोई वस्तु या चीज की सेवा पर मांग करना या प्राप्त करना	2  मानक बाट, माप या अंक से अन्यथा बाट, माप या अंक का प्रयोग धारा 8 (3)  मानकों के अनुरूप नहीं आने वाले बाट या माप का विनिर्माण धारा 8(4)  विहित के अलावा बाट माप या संख्या द्वारा माल इत्यादि के संबंध में संव्यवहार, व्यवहार या संविदा धारा 10  बाट या माप या अंक की मानक यूनिट के अनुसार के अलावा कोट करना या घोषणा करना या मूल्य सूची को जारी करना या प्रदर्शित करना या मूल्य परिवर्तित करना। धारा—11  संविदा या करार द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा की सेवा पर मांग करना या प्राप्त करना

1	2	3	4
6.	विनिर्माता, व्यवहारी या मरम्मतकर्त्ता द्वारा	31	500.00
	अभिलेखों, रजिस्टरों का न रखा जाना		
	और मांग पर बाट, माप दस्तावेज,		
	रजिस्टर पेश नहीं किया जाना धारा 17		
7.	सत्यापन के बिना बाट या माप का	33	5000.00
	विक्रय धारा 33		
8.	संव्यवहार या सरंक्षण मे असत्यापित बाट	33	5000.00
	या माप का उपयोग धारा 24		
9.	अमानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं का	34	2500.00
	विक्रय या परिदान धारा 34		
10.	अमानक बाट या माप द्वारा सेवा प्रदान	35	2500.00
	करना धारा 35		
11.	विनिर्माता / व्यवहारी द्वारा पूर्व पैक की	36(1)	2500.00
	गयी वस्तु के संबंध मे घोषणा का		
	अननुपालन		
	धारा 18(1)		
12.	विनिर्माता द्वारा पूर्व पैक की गयी वस्तु	36(2)	15000.00
	की शुद्व मात्रा अपेक्षा का अननुपालन		
	धारा 18(1)		
13.	अनुज्ञप्ति के बिना बाट या माप का	45	5000.00
	विनिर्माण धारा 23		
14.	अनुज्ञप्ति के बिना बाट या माप की	46	2000.00
	मरम्मत / विक्रय, धारा 23		
15.	अनुज्ञप्ति के साथ छेड़छाड़, धारा 47	47	5000.00
16.	अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी	53(3)	500.00
	नियम के उपबंध का उल्लंघन धारा 53(3)		

[संख्या एफ. 6 (410)सीआई / एलएम / मॉडल / रूल्स / एक्ट / 2010] राज्यपाल के आदेश से, डॉ. मोहन लाल यादव,

शासन उप सचिव।

#### INDUSTRIES (GR.II) DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

#### **Jaipur, May 3, 2011**

G.S.R. 19.—Whereas in exercise of the powers conferred by section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act No.1 of 2010), the draft of the Rajasthan Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, was published vide notification No. F 6 (410) CI/LM/ Model /Rules/ Act/2010 Dated 21-3-2011 in the Rajasthan Gazette Extraordinary Dated 21-3-2011 in part 3 (kha) as required by subsection (4) of the said section inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 7 days from the date on which the said notification is published in the Rajasthan Gazette.

And whereas all objections and suggestions received within the said period on the said draft rules have been considered. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act No.1 of 2010) the State Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Rajasthan Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011.
  - (2) They extend to the whole of the State of Rajasthan
- (3) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.
- **2**. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Act" means the Legal Metrology Act, 2009 (Central Act No. 1 of 2010

);

- (b) "Reference Standards Laboratory" means a laboratory set up by the Central Government under the Act, where Reference Standards, Secondary Standards and Working Standards are maintained; and
- (c) "Schedule" means a schedule appended to these rules.

- (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Reference Standards.—The Reference Standards shall be kept at such place, in such manner and in such custody as prescribed under the Legal Metrology (National Standards) Rules, 2011.
- 4. Secondary Standards.—(1) Every Secondary Standards shall be verified at any of the Reference Standards Laboratories, in such manner and at such periodical intervals as may be prescribed under the Legal Metrology (National Standards) Rules, 2011 and shall, if found on such verification to conform to the Standards established by or under that Act, be stamped by Reference Standard Laboratory or a certificate of verification shall be issued by that laboratory.
- (2) The Secondary Standards shall be kept at such place, and in such custody as the Controller may direct.
- **5.** Working Standards.—(1) Every Working Standard shall be verified either at any of the Reference Standards Laboratories or at any of the Secondary Standards Laboratories maintained by the State Government, in such manner and at such periodical intervals as may be prescribed under the Legal Metrology (National Standards) Rules, 2011 and shall, if found on such verification to conform to the Standards established by or under the Act, be stamped or certificate of verification shall be issued by that laboratory, as the case may be.
- (2) The Working Standards shall be kept in the custody of Legal Metrology Officer.
- **6. Secondary Standard balances.**—(1) A set of Secondary Standard Balances shall be maintained at every place where Secondary Standard Weights are kept.
- (2) The number, types and specifications of such balances shall be such as may be prescribed under the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

- (3) Every Secondary Standard Balance shall be verified at least once within a period of twelve months and shall be adjusted, if necessary, to make it correct within the limits of sensitivity and other metrological qualities prescribed under the Act, by the Reference Standards Laboratory or by the Controller or such other officer as may be authorized by the Controller in this behalf.
- 7. Working Standard Balances:–(1) A set of Working Standard Balances shall be maintained at every place where Working Standard Weights are kept.
- (2) The number, types and specifications of such balances shall be such as may be prescribed under the Legal Metrology (General) Rules, 2011.
- (3) Every Working Standard Balance shall be verified at least once within a period of twelve months and shall be adjusted, if necessary, to make it correct within the limits of sensitivity and other metrological qualities prescribed under the Legal Metrology (General) Rules, 2011, by the Reference Standard Laboratory or at any of the place where Secondary Standards are maintained by the State Government.
- 8. Physical characteristics, configuration, constructional details of Weights and Measures.—Every Weight or measure used or intended to be used in any transaction or for protection shall conform as regards physical characteristic, configuration, constructional details, materials, performance, tolerances and such other details, to the specifications prescribed under the Act or the Legal Metrology (General) Rules, 2011.
- **9.** Use of Bullion Weights, Carat Weights etc.—(1) No Weight other than a Bullion Weight as specified in General Rules, 2011 shall be used in any transaction or protection in bullion including precious metals, pearls, ornaments or other articles made of gold or silver.
- (2) No weight other than a carat weight shall be used in any transaction in precious stones.

- (3) Only beam scale of class A or class B category or a non automatic weighing instrument of high accuracy class (class II) or special accuracy class (class I) shall be used in any transaction or protection referred to in sub-rule (1) and (2) above.
- **10.** Use of weights only or measures only or number only in certain cases.—Except in the cases of commodities specified in Schedule-I, the declaration of quantity in every transaction, dealing or contract, or for protection shall be terms of the unit of -
  - (a) weight, if the commodity is solid, semi-solid, viscous or a mixture of solid and liquid;
  - (b) length, if the commodity is sold by linear measure;
  - (c) area, if the commodity is sold by area measure;
  - (d) volume, if the commodity is liquid or is sold by cubic measure; or
  - (e) number, if the commodity is sold by number.
- 11. Licencing of manufacturer, repairer and dealer of Weights and Measures.—(1) Every manufacturer or repairer of, or dealer in, weight or measure shall make an application for the issue of a licence to the Controller Legal Metrology or such other officer as may be authorized by him in this behalf, in the appropriate form set out in Schedule II-A:

Provided that no licence to repair shall be required by a manufacturer to repair weight or measure manufactured by him and used in a State other than the State of manufacture of the same, but the manufacturer has to inform in advance the concerned Legal Metrology Officer about the repairing.

(2) Every manufacturer or repairer of, or dealer in weight or measure shall make an application for the renewal of a licence within thirty days before the expiry of validity of the licence to the Controller Legal Metrology or such other officer as may be authorized by him in this behalf, in the appropriate form set out in Schedule II-B.

- (3) Every licence issued to a manufacturer, repairer or dealer shall be in the appropriate form set out in Schedule -III.
- (4) Every licence issued to a manufacturer, repairer, or dealer shall be valid for a minimum period of one calendar year and may be renewed for a period of five years ,by the Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf on payment of per year fee as specified in the Schedule IV.
- (5) The fee payable for the alteration of a licence or for the issue of a duplicate licence shall be half of the licence fee for one year as specified in Schedule IV:

Provided that an additional fee at full rates specified in Schedule - IV shall be payable by the applicant if he is permitted by the Controller to make an application for the renewal of a licence within a period of three months from the date of expiry of the licence.

- (6) The Controller or such other officer as may be authorized by him in this behalf shall maintain a register of licenced manufacturers, dealers and repairers in the form set out in Schedule -V.
- (7) Every manufacturer/repairer/dealer licenced under the Act and these rules shall maintain such workshop/equipments/tools/registers etc., as the case may be, as per the terms and conditions of the licence.
- (8) Every repairer licenced under the Act and these rules shall furnish a security deposit for each licence to the State Government as specified in schedule Schedule -VI.
- (9) Every licence issued or renewed under this Act shall be displayed in a conspicuous place in the premises where the licencee carries on business.
- (10) A licence issued or renewed under this Act shall neither be salable nor transferable.
- 12. Suspension and cancellation of licence granted.-(1) The Controller or such other officer authorized by him may, if has any reasonable cause to believe that the holder of any licence issued,

renewed or continued under this Act has made any statement in, or in relation to, any application for the issue, renewal or continuance of the licence, which is incorrect or false in any material particular or has contravened any provision of the Act or any rule or order made there under, suspend such licence, pending the completion of any inquiry against the holder of such licence:

Provided that no such licence shall be suspended unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action:

Provided further that where the inquiry referred to in this sub-rule is not completed within a period of three months from the date of suspension of a licence, such suspension shall, on the expiry of the period aforesaid, stand vacated.

(2) The Controller or such other officer authorized by him may, if satisfied, after making such inquiry as he may think fit, that the holder of a licence has made a false or incorrect statement of the nature referred to in sub-rule (1), or has contravened any law or order referred to in that sub-rule, cancel such licence:

Provided that no such licence shall be cancelled unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

- (3) Every person whose licence has been suspended shall, immediately after such suspension, stop functioning as such licencee and shall not resume business as such licencee until the order of such suspension has been, or stands, vacated.
- (4) Every licencee whose licence has been suspended or cancelled shall, after such suspension or cancellation, as the case may be, surrender such licence to the authority by which such licence was issued.
- (5) Every licencee whose licence has been cancelled shall, within a period of thirty days from the date of such cancellation, or within such further period, not exceeding three months from such date, as the Controller or such other officer authorized by him may, on sufficient cause being shown, allow, dispose of the

weights or measures which were in his possession, custody or control on the date of such cancellation and in the event of his failure to do so, the Controller or any other officer authorized by him, in writing, in this behalf, may seize and dispose of the same and distribute the proceeds thereof in the manner, prescribed in these rules.

- 13. Records to be maintained by manufacturers, etc.-Every manufacturer or repairer of, or dealer in weight or measure licenced under the Act and these rules shall maintain records and registers in the appropriate form set out in Schedule -VII and also submit such periodical report / returns as specified.
- 14. Verification and inspection of weights or measures.—
  (1) Every person using any weight or measure in any transaction or for protection shall present such weight or measure for verification/ re-verification, at the office of the Legal Metrology Officer or at such other place as the Legal Metrology Officer may specify in this behalf on or before the date on which the verification falls due:

Provided that where any weight or measure is such that it cannot, or should not be moved from its location, the person using such weight or measure shall report to the Legal Metrology Officer at least thirty days in advance of the date on which the verification falls due.

- (2) Where any weight or measure is such that it cannot, or should not, be moved from its location, Legal Metrology Officer shall take necessary steps for the verification of such weight or measure at the place of its location.
- (3) For the verification of weight or measure referred to in sub-rule (2) the user shall provide such facilities as may be specified by the Controller.
- (4) Every weight or measure presented for verification shall be complete in itself.
- (5) Every weight or measure shall be verified in a clean condition, and if necessary, the Legal Metrology Officer shall

require the owner or user to make necessary arrangement for the purpose.

- (6) A Legal Metrology Officer may visit, as frequently as possible during the period specified in the Legal Metrology (General) Rules 2011, every premise within the local limits of his jurisdiction to inspect and test any weight or measure which is being or is intended or likely to be used in any transaction or for protection.
- (7) The Legal Metrology Officer shall obliterate the stamp on any weight or measure, if it is found during inspection that:-
  - (a) Any weight or measure which being due for reverification has not been submitted for such reverification.
  - (b) Any weight or measure which does not conform to the Standards established by or under the Act:

Provided that where the Legal Metrology Officer is of opinion that the defect or error in such weight or measure is not such as to require immediate obliteration of the stamp, he shall inform the user, of the defect or error found in the weight or measure and call upon user to remove the defect or error within such time, not exceeding eight days and shall-

- (i) if user fails to remove the defect or error within that period, obliterate the stamp, or
- (ii) if the defect or error is so removed as to make the weight or measure conform to the standards established by or under the Act, verify and stamp such weight or measure.

Explanation: The obliteration of the stamp on any weight or measure shall not take, away or abridge the power of the Legal Metrology Officer to seize such weight or measure in accordance with the provisions of the Act.

**15. Stamping of weights or measures.**—(1) The Legal Metrology Officer shall stamp every weight or measure, if after testing and verification, he is satisfied that such weight or measure

conforms to the standards established by or under the Act, with a stamp of uniform design, issued by the Controller, which shall indicate the number allotted for administrative purpose to the Legal Metrology Officer by whom it is stamped:

Provided that if by reason of the size or nature of any weight or measure it is not desirable or practicable to put a stamp thereon, the Legal Metrology Officer shall take such action as may be directed by the Controller by a general or a special order in writing.

(2) The Legal Metrology Officer shall also mark the year and its quarter of stamping on every verified weight or measure except when the size or nature of such weight or measure makes it impracticable.

Explanation: A year shall consist of four quarters of which first quarter shall be of the months of January, February and March which shall be marked as A, second quarter shall be of the months of April, May and June which shall be marked as B, third quarter shall be of the months of July, August and September which shall be marked as C and fourth quarter shall be of the months of October, November and December which shall be marked as D.

- (3) On completion of verification and stamping the Legal Metrology Officer shall issue a certificate of verification in the form set out in Schedule -VIII.
- (4) Where a certificate of verification is lost or destroyed, the holder of the certificate of verification shall forthwith apply to the Legal Metrology Officer, who had issued the certificate, for a duplicate certificate of verification. Every such application for a duplicate certificate shall be accompanied by a fee of rupees ten.
- (5) On receipt of an application under sub-rule (4), the Legal Metrology Officer shall issue to the applicant a duplicate copy of the certificate of verification marked 'DUPLICATE'.

- **16.** Fee for verification.-(1) Fees payable for verification and stamping of weight or measure at the office or camp office of the Legal Metrology Officer shall be as specified in Schedule IX.
- (2) If, at the request of the user of weight or measure, verification is done at any premises other than the office or camp office of the Legal Metrology Officer, an additional fee shall be charged at half the rate specified in the Schedule IX and the user of the weight or measure shall pay the expenses incurred by the Legal Metrology Officer for visiting the premises including the cost of transporting and handling the Working Standard and other equipment subject to a minimum of rupees one hundred:

Provided that no additional fee shall be charged for verification and stamping of weights and measures in situ of,-

- (i) vehicle tanks for petroleum products and other liquids, Meter for Liquids Other than Water (Fuel Dispenser, Liquid Petroleum Gas, Milk Dispensers), Compressed Natural Gas Dispensers, Non-automatic Weighing Instruments like weighbridges, platform machines, crane scale, Automatic Gravimetric Filling Instruments, Automatic Rail-weighbridge, Discontinuous Totalizing Automatic Weighing Instruments, and such other weight or measure which cannot, and should not be moved from its location;
- (ii) Weight or measure in the premises of manufacturer or dealer of such weight or measure.
- (3) If a weight or measure is presented to the Legal Metrology Officer for re-verification after expiry of the validity of the stamp, an additional fee at half the rates specified in Schedule-IX shall be payable for every quarter of the year or part thereof.
- (4) Full fee shall be payable for re-stamping any weight or measure held in stock with manufacturer or dealer within the period specified, in the Legal Metrology (General) Rules,2011 from the date on which it was last stamped, provided that the original stamp was not obliterated.

- (5) A weight or measure which on verification is found to be incorrect shall be returned to the person concerned for adjustment informing him, in a proforma specified by the Controller, of the defects found in the weight or measure, and calling upon him to remove the defects within a period not exceeding seven days. When the necessary adjustment has been carried out, such weight or measure shall be verified on payment of the fees specified in Schedule- IX and if found correct shall be stamped.
- 17. Collection of fees and deposit into the Treasury.-(1) Before commencing the work of verification or re-verification, the Legal Metrology Officer shall inform the person concerned, the fees payable by him and shall receive the same in the manner as authorized by the Controller and issue a receipt on the form approved by the Controller, one copy of such receipt being kept on record:

Provided that fees payable by a department of the Central or State Government under these rules may be realized in such manner as may be directed by the Controller.

- (2) The Legal Metrology Officer shall maintain a register, in the form approved by the Controller, which shall be written up from day-to-day and shall show the amount of fees and other charges collected during the day.
- (3) All payment received by the Legal Metrology Officer during the week shall be paid into the Government Treasury under the appropriate "Head of Account" on such dates or days as may be specified by the Controller from time to time, and a receipt thereof be obtained and an intimation to that effect be sent to the Controller or other officer authorized by him in this behalf.
- 18. Disposal of seized weights, measures, etc.-(1) Any unverified weight or measure shall be returned to the person from whom such weight or measure was seized if that person gets the same verified and stamped, within fifteen days of the return, on payment of the prescribed fee including the additional fee payable

for undertaking re-verification after the expiry of the validity of the stamp.

(2) Any weight or measure or document or thing or goods seized and detained under section 15 of the Act, which is to be the subject of proceedings in a court shall be produced by the Legal Metrology Officer before the court, shall after conclusion of the proceedings, be taken possession of by the Legal Metrology Officer and dealt with in accordance with the orders of the court:

Provided that in the absence of the orders of the court, weight or measure or document or thing or goods shall be dealt with as the Controller may by special order direct and the material thereof shall be sold and the proceeds credited to the Government.

(3) If any goods, seized under sections 15 of the Act. are subject to speedy or natural decay, the Legal Metrology Officer shall have the goods weighed or measured on a verified weighting or measuring instrument available with him or nearest the place of offence and enter the actual weight or measure of the goods in a form specified by the Controller for this purposes, and shall obtain the signature of the trader or his agent or such other person who has committed the offence. The goods in question shall be returned to the trader or the purchaser as the case may be:

Provided that if the trader or his agent or the other person (who has committed the offence) refuses to sign the form, the Legal Metrology Officer shall obtain the signature of not less than two persons present at the time of such refusal by the trader or his agent or other person. In the case of goods returned to the trader he shall give an undertaking that he shall not sell the defective goods without rectifying the defects thereon.

(4) Where the goods seized under sub-section (1) of section 15 of the Act are contained in a package and the package is false or does not conform to the provisions of the Act or any rules made there under and the goods in such package are subject to speedy or natural decay, the Legal Metrology Officer so far as may be, may

dispose of the goods in such package in accordance with the provisions of sub-rule (3):

Provided that the Controller shall be the final authority to decide whether the goods seized and detained are subject to speedy or natural decay.

- (5) Where the goods seized under sub-section (1) of section 15 of the Act are not subject to speedy or natural decay, the Legal Metrology Officer may retain the package for the purpose of prosecution under this Act after giving the trader or his agent or the other person (who has committed the offence) a notice of such seizure.
- (6) The goods referred under sub-rule (4) and (5) which are not to be the subject of proceedings in a court, shall after the expiry of sixty days of its seizure, be so dealt with as the Controller may by special order direct.
- 19. Validity of weights or Measures duly stamped.-(1) A weight or measure which is, or is deemed to be, duly verified and stamped under this rule shall be deemed to conform to the standards established by or under the Act at every place within the State in which it is stamped unless it is found on inspection or verification that such weight or measure has ceased to conform to the standards established by or under the Act.
- (2) No weight or measure which is, or is deemed to be, duly verified and stamped under this Act shall require to be re-stamped merely by reason of the fact that it is being used at any place within the State other than the place at which it was originally verified and stamped:

Provided that where a verified weight or measure, installed at one place is dismantled and re-installed at a different place, such weight or measure shall not be put into use unless it has been duly re-verified and stamped, notwithstanding that periodical reverification of such weight or measure has not become due.

(3) Where a verified weight or measure has been repaired, whether by a licenced repaired or by the person owning and

possessing the same, such weight or measure shall not be put into use unless it has been duly re-verified and stamped, notwithstanding that periodical re-verification of such weight or measure has not become due.

- **20.** Provision of supply of Working/Secondary Standards, equipment, etc. to the Legal Metrology Officer.—(1) Every Legal Metrology Officer shall be provided with Working /Secondary Standards weights, Working/Secondary Standard balances, and such other equipment includes weighing and measuring devices as may be approved by the Controller from time to time.
- (2) Every Legal Metrology Officer shall be provided with such dies, punches, paper seal / sticker and such other equipment as may be necessary for affixing the verification stamp, the design and number of which are to be approved by the Controller.
- (3) Every Legal Metrology Officer shall be provided with punches of suitable sizes of eight-pointed star as shown below for obliterating stamps.
- 21. Provisions relating to use of weights measure, etc.— (1) Every person using a beam scale in any transactions in his premises shall suspend the same to a stand or to a chain by a hook:

Provided that this sub-rule shall not apply to itinerant vendors.

- (2) Every weight or measure shall be used in a clean condition and in proper lighting arrangement.
- (3) Any weight or measure, which has been verified and stamped in situ, shall not be dismantled and removed from its original site without prior intimation to the Controller or other person authorized by him in this behalf.
- (4) To ensure a proper check of the accuracy of a weighing instrument the user shall keep at the site of each weighing instrument one tonne duly verified and stamped weights or equal to one-tenth of the capacity of the instrument whichever is less and consumer can also check the accuracy of the weighing instrument:

Provided that the Controller may specify the total number of verified and stamped weights to be maintained in trade premises where the number of weighing instruments are more than one.

- (5) To ensure proper delivery of the petrol / diesel pumps, the retail dealer of the pump shall keep a verified 5 litre/10litre capacity measure in his premises duly verified by Legal Metrology Officer and check the out put from the pump every day to ensure its correct delivery. In case of any short delivery the dealer shall stop the delivery through the pump immediately and inform the Legal Metrology Officer concerned to recalibrate the pump.
- **22.** Certificate of verification to be exhibited.—The person to whom a certificate of verification is issued shall exhibit the same in a conspicuous place in the premises where the weights, measures or weighting or measuring instruments to which the certificate relates are used:

Provided that in the case of itinerant vendor, the certificate shall be kept with the person:

Provided further that in the case of vehicle tank, the certificate of verification shall be kept with the vehicle.

- 23. Penalty for contravention of rules.—Whoever contravenes any provision of these rules, for the contravention of which no punishment has been separately provided in the Act, shall be punished with fine, which may extend to five thousand rupees. Whenever rules are in conflict with the provisions of the Act, the Act shall prevail the over the rules.
- **24. Form of appeal.-**(1) Every appeal under the Act and these rules shall be preferred in the form set out in Schedule- X, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against.
- (2) An application for appeal to State Government shall be accompanied by fee of Rs. 500 and for appeal to Controller shall be accompanied by fee of Rs. 200 paid either by cash or by affixing court fee stamp for the said value, as the case may be.

- **25. Fee for compounding of offences.**-The fee for compounding of offences committed under the Act shall be as prescribed in Schedule -XI.
- **26. Repeal and savings.-**(1) The Rajasthan Standard of Weights and Measures (Enforcement ) Rules, 1997 (herein under referred to as the said rules) are hereby repealed:

Provided that such repeal shall not affect,-

- (a) the previous operations of the said rules or anything done or omitted to be done or suffered therein; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said rules; or
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said rules; or
- (d) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid and any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said rules had not been rescinded.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or purported to have been done or taken including approval of letter, exemption granted, fees collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced, licence and registration of manufacturers, dealers, importers of weights and measures, non-standard weights and measures or show cause notice, decision, determination, approval, authorisation issued, given or done under the said rules shall if in force at the commencement of the said rules continue to be in force and have effect as if issued, given or done under the corresponding provisions of these rules.
- (3) The provisions of these rules shall apply to any application made to the State Government under the said rules for

licence, registration of manufacturers, importers, dealers, repairers of weights and measures pending at the commencement of these rules and to any proceedings consequent thereon and to any registration granted in pursuance thereof.

- (4) Any legal proceeding pending in any court under the said rules at the commencement of these rules may be continued in that court as if these rules had not been framed.
- (5) Any appeal preferred to the State Government under the said rules and pending shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these rules.

# SCHEDULE – I (See rule 10)

Exceptions referred to in Rule 10

1- The following commodities may be sold by weight, measure or number as shown against the commodity.

	TABL	Е
Sr. No.	. Commodity	Whether declaration to be expressed in terms of weight, measure or number or two or more of them.
	(1) (2)	(3)
1-	Aerosol products	weight
2-	Acids in liquid form	weight or Volume
3-	Compressed or liquefied gas (but not liquefied petroleum gas	weight and equivalent volume at stated temperature and pressure
4-	Butter (incl. peanut butter),	weight cheese, curd, ghee
5-	Electric cables	length or weight
6-	Electric wire	length or weight
7-	Fencing wire	length or weight
8-	Hair oil, un perfumed	weight or volume
9-	Fruits and vegetables	number or weight

19(74)	राजस्थान राज–पत्र, म	ाई 4, 2011	भाग 4 (ग)			
10-	Furnace oil	weight or volume				
11-	Linseed oil and other	weight or volume				
	vegetable oils					
12-	Heavy residual fuel oil	weight				
13-	Industrial diesel fuel	volume				
14-	Honey, malt extract, golden	weight				
15-	syrup treacle  Ice cream and other similar	waight or valuma				
13-	frozen products	weight of volume				
16-	Liquid chemicals	weight or volume				
17-	Liquid petroleum gas	weight or volume weight				
18-	Nails, wood screws	number or weight				
19-	Paint (other than paste paints	=				
1)	or solid paint), varnish and	Volume				
	varnish stairs, enamels					
20-	Papad	number and weigh	nt			
21-	•	weight				
22-	Ressogulla, Gulabjamun	weight				
	and other sweet preparations	_				
23-	Ready made garments	number and size				
24-	Sauce, all kinds	weight				
25-	Tyres and tubes	number				
26-	Yarn	Weight or length of	of yarn			
	Schedule -	II - A				
	[See rule 1	1 (1)]				
	Form–LM					
[A]	opplication form for licence as a		_			
	measures under the Legal N To,	Metrology Act, 200	9]			
	To be filled by the	Comm	ents of the			
	Applicant	inspec	· ·			

1. Name of the manufacturing concern for which licence ...... is desired.

(2)

भाग ४ (ग) राजस्थान राज–पत्र, मई ४, २०११	19(75)
2. Complete address of the concern. Whether premise	es
are owned/rented/taken on lease/leave licence, dul	
supported by documents.	
3. Date of Establishment of workshop/factory	
4. Name (s) and address (s) along with their father's/	
husband's name of proprietor (s) and/or Partners ar	nd
Managing Director (s) in the case of Limited comp	pany
5. The date and current registration number of factory	y/
shop/establishment/Municipal Trade licence.	
6. Nature of manufacturing activities at present	
7. The type of weights and measures proposed to be	
manufactured viz:	
(i) Weights	
(ii) Measures	
(iii) Weighing Instruments	
(iv) Measuring Instruments with details in each ca	ase.
8. The number of persons employed/proposed	
to be employed	
(i) Skilled	
(ii) Semi-skilled	
(iii) Unskilled	
(iv) Specialist trained in the line	
9. The monogram or trade mark intended	
to be imprinted on weights and	
measures to be manufactured.	
10. Details of machinery, tools accessories, owned ar	nd
used for manufacturing weights measures etc.	
11. Details of foundry/workshop facilities arranged	
Whether ownership, long term lease etc.	
12. Facilities of steel casting and hardness testing of	
vital parts etc. or other means.	
13. Availability of electric energy	
14. Details of loan received from Government	
or financial Institution. If so, give details	
15. Name of bankers, if any	

19(76)	राजस्थान राज–पत्र, ग	मई 4, 2011	भाग 4 (ग)
	lles Tax Registration Nu onal Tax registration Nu		
	u applied previously for		
licence '	? If so, when and with w	hat results?	
18. (a) Whet	her the item (s) propose	d to be	
man	ufactured will be sold w	vithin the State or	
	side the state or both.		
` ′	ils of Model Approval r	received from	
	ernment of India;	· ·	
1 1	n can you produce for it	•	
-	ples of your products for ace is desired?	i which	
11001	ice is desired:		
	To be certified by tl	ne applicant (s)	
Certi	fied that I/We have re	ead the Legal Me	etrology Act,
	ne Rajasthan Legal Me	• • •	
_	gree to abide by the sar		
	nstructions issued or to b		
	agree to deposit the		
	as soon as required	to do so by the	ne Licencing
Authority.	he information furnishe	ad abayya ia tmya t	es the best of
my/our knov		a above is true t	o the best of
•	vicuge.		
Place : Date :		Signature and Do	 ecionation
		C	C
To be filled	d in by Departmental Of	ficer of the State (	Government
Date of Rece	eipt of Application:		
Serial Numb	er of application:		
Date of inspe			
Recommend	ation of Inspecting Offi	cer:	
Place:			

Signature and Designation of Inspecting Officer

Date:

## Final orders of Licensing Authority

Lice	_	ranted/refused : [umber :	
Place	e :		
Date		Signati	are and Designation
		Form LR-1	C
[Ap	plicat	ion for licence as repairers of Weigh	ts & Measures under
		the Legal Metrology Act, 20	09]
		To,	
		To be filled by	Comments of the
		the applicants	inspecting officer
	1	2	3
1.	Nam	ne of the concern seeking the licence	
2.		plete address of the workshop	
3.		Whether premises are owned/rented/t	aken. on
	` ′	Date of establishment.	
4.	` ′	ne (s) and address (s) along with their	r father's/
		pand's name of proprietor (s) and/or I	
		aging Director (s) in the case of Lim	
5.		ber and date of shop/establishment/	
		nicipal Trade Licence.	
5.		essional Tax/IT Tax registration Nu	mber etc if any
7.		type of weights and measures propo	
8.		in which you wish to operate	
9.		ious experience in the line	
10.		nber of staff employed or	
		osed to be employed:	
	(i)	Skilled	
	(ii)	Semi-skilled	
	` /	Unskilled	

(iv) Employees trained in the line

19(7	8) राजस्थान राज-पत्र, मई ४, २०११ भाग ४ (ग)
11. 12.	Details of machinery/tools/accessories available
13.	Have you sufficient stock of Loan Sets/Test weights. etc.?Give details.
14.	Have you applied previously for a repairer's licence?
	If so, When and with what results?
	To be certified by the applicant(s)
2011	Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, and the Rajasthan Legal Metrology (Enforcement) Rules, and agree to abide by the same and also the administrative and instructions issued or to be issued there under.
Gove	I/We agree to deposit the Scheduled licence fees with ernment as soon as required to do so by the Licensing
Auth	ority.
my/o	All the information furnished above is true to the best of our knowledge.
Place	e:
Date	: Signature and Designation
Date Seria	be filled in by Departmental Officer of the State Government of Receipt of Application :  Il Number of application :  of inspection :
Reco	ommendation of Inspecting Officer:
Place	e:
Date	: Signature and Designation of Inspecting Officer Final orders of Licencing Authority
licen	ce granted/refused :
licen	ce Number :
	f till :
Place	
Date	: Signature and Designation

### Form LD-1

[Application Form for Licence as Dealers in Weights & Measures under the Legal Metrology Act, 2009]

To,

s of th	ne
offic	er
3	
fany	
Cei	ntral
•••	

#### To be certified by the applicant(s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Rajasthan Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We agree to deposit the Scheduled licence fees with Government as soon as required to do so by the Licensing Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place:	
Date:	Signature and Designation
To be fi	lled in by Departmental Officer of the State Government
Date of Receipt of	f Application:
Serial Number of	application:
Date of inspection	ı:
Recommendation	of Inspecting Officer:
Place :	
Date:	Signature and Designation of Inspecting Officer
	Final orders of Licensing Authority
licence granted/re	fused :
licence Number :	
Valid till:	
Place:	
Date:	Signature and Designation

#### **SCHEDULE-II-B**

#### [See rule 11 (2)]

#### Form LM-2

[Application for renewal Licence as Manufacturer of Weights & Measures under the Legal Metrology Act, 2009]

To,

		To be filled by	Comments of the
		the applicants	inspecting officer
	1	2	3
1.	Nam	e and complete address of the m	anufacturing
	conc	ern for which renewal of licence	is desired.
2.	Man	ufacturing Licence No	
3.	Nam	e (s) and address (s) along with t	their father's/
	husb	and's name of proprietor (s) and/	or Partners and
	Man	aging Director (s) in the case of	Limited company.
4.	(a)	Type of weights and measures v	which are
		manufactured as per licence gra	inted.
	(b)	Do you propose any change	
5.	The	monogram or trade marks used	
	on w	eights and measures	
	manı	ufactured by you.	
6.	Deta	ils of workshop facilities availab	le
7.	Deta	ils of production and sales in	
	the la	ast 5 years	
8.	Num	nber and date of shop/establishme	ent
	Regi	stration Number.	
9.	Regi	stration Number of VAT/Sales T	Tax/CST/Professional
	Tax/	Income Tax.	

#### To be certified by the applicant (s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Rajasthan Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

19(8	82) राजस्थान राज–पत्र, मह	<u> 4, 2011 भाग 4 (ग)</u>
Гrea	I/We have deposited the	) to the Sub-
my/o	All the information furnished our knowledge.	above is true to the best of
Plac	ee:	
Date	à :	Signature and Designation
	Form LR	2
Го,	[Application for renewal Licence Measures under the Legal M	-
	To be filled by	Comments of the
	the applicants	inspecting officer
	1 2	3
1.	Name and complete address of the repairing concern/person seeking renewal of the licence.	
2.	Repairer's Licence Number	
3.	Name (s) and address (s) along	
	with their father's/husband's nam	ie
	of proprietor (s) and/or Partners	
	Managing Director (s) in the cas	e of
	Limited company.	
4.	Registration Number and date of	•
	establishment/Municipal Trade I	
5.	Registration Number of VAT/ S	ales Tax/CST/Professional
	Toy/Income Toy	

The Type of weights and measures repaired.....

as per licence granted.

6.

भाग	ग ४ (ग) राजस्थान राज–पत्र,	मई ४, २०११ १	19(83)
	(b) Do you propose any change	)	
7.	Area in which you are operating.		
8.	Have you sufficient stock of loan	/test weights, etc.?	
9.	Please give details with particular	rs of stamping	
	To be certified by the	applicant (s)	
	Certified that I/We have read	the Legal Metrology	y Act,
200	09 and the Rajaasthan Legal Meta		
201	11 and agree to abide by the same	and also the administ	trative
ord	lers and instructions issued or to be	issued there under.	
	I/We have deposited the S	scheduled licence fe	es of
Rs.	(Rupees	) to the	e Sub-
Tre	easury/Bank on	and	d the
orig	ginal challan is enclosed.		
	All the information furnished	above is true to the b	est of
my	/our knowledge.		
Pla	ice:		
Dat	te:	Signature and Design	ation
	Form LD-	2	
	[Application for renewal Licence	as Dealer in Weights &	ķ
	Measures under the Legal Me	etrology Act, 2009]	
To,	,		
	To be filled by	Comments of the	e
	the applicants	inspecting off	icer
	1 2	3	
1.	Name of the establishment/shop/	person seeking the	
	renewal of licence.		
2.	Dealer's Licence Number		
3.	Date of establishment		
4.	Name (s) and address (s) along w	ith	

19(8	(84) राजस्थान राज–पत्र, मई 4, 2011 भाग 4	4	(ग)
	their father's/husband's name of		
	proprietor (s) and/or Partners and		
	Managing Director (s) in the case		
	of Limited company.		
5.	Registration Number and date of		
	shop/establishment/		
	current Municipal Trade Licence.		
6.	Categories of weights and measures		
	sold at present		
7.	Registration Number of VAT/ CST/		
	Sales Tax/Professional		
	Tax/Income Tax.		
8.	Are you intending to import weights		
	and measures etc. from places		
	outside the State/Country? If so,		
	indicate sources of supply from the		
	State (s)/Country (s).		
	(Give details of manufacturer's trade mark/		
	monogram and his licence number.)		
	To be certified by the applicant (s)		
	Certified that I/We have the Legal Metrology Act,	2	009
and	the Rajasthan Legal Metrology (Enforcement) Rules,	2	011
and	agree to abide by the same and also the administrative of	orc	ders
and	instructions issued or to be issued there under.		
	I/We have deposited the Scheduled licence fees of	f	Rs.
	(Rupees) to the	S	lub-
Trea	asury/Bank on and	L	the
orig	ginal challan is enclosed.		
	All the information furnished above is true to the be	es	t of
my/	our knowledge.		
Plac	re ·		
ı ıav	······································		

Date:

Signature and Designation.

### **SCHEDULE - III** [See rule 11 (3)]

**Licensing Forms** FORM LM-3

#### Government of Rajasthan

OFFICE OF THE CONTROLLER OF LEGAL METROLOGY

Licence to manufacture, weights, measures, weighing or measuring instruments.

Lic	ence No Year
l <b>-</b>	The Controller of Legal metrology hereby grants to
	(Name and address of party or parties) a licence to
	manufacture the following:-
	(Include details of the weights, measures, weighting
	instruments or measuring instruments that are licenced to
	be manufactured by the party).
2-	The licence is valid for the party named above in respect of
	his workshop located at
3-	This licence is valid from to
1-	The manufacturer shall comply with the conditions noted
	below. If he fails to comply with anyone of these, his
	licence is liable to be cancelled.
5-	The trade mark monogram being used by the manufacturer
	is as under.
	(Signature)
	Controller of legal Metrology
	(Seal) Govt. of Rajasthan
	Date
	Place

Note: In the case of firm, its name with the names of all names of all persons having interest in the business should be given in paragraph 1.

#### CONDITIONS OF LICENCE

- 1. The person in whose favour this licence is issued shall,-
- (a) comply with all the relevant provisions of the Act and rules for the time being in force;
- (b) not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act. or the rules as amended from time to time;
- (c) exhibit this licence in some conspicuous part of the premises to which it relates;
- (d) comply with any general or special directions that may be given by the Controller of Legal Metrology;
- (e) surrender the licence in the event of closure of business and/ or cancellation of Licence;
- (f) present the weights, measures, weighing or measuring instruments, as the case may be, manufactured and meant for use within the State, to the Legal Metrology Officer for verification and stamping before sale;
- (g) submit the application for renewal of this licence as required under the rules within thirty days of expiry of the validity of the licence.
- 2. Every condition prescribed after the issue of this licence shall if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the licence has been granted.

#### Renewal entries

Current N	No Date	Current No Date		
-	Renewed for	Renewed for		
Seal		Seal		
	Controller	Controller		
	of Legal Metrology	of Legal Metrology		
Current 1	No Date	Current No Date		
	Renewed for	Renewed for		
Seal		Seal		
	Controller	Controller		
	of Legal Metrology	of Legal Metrology		

Current No Date			Current No Date		
Renewed for			Renewed for		
Se	al			Seal	
		Controller of Legal Metrology			Controller of Legal Metrology

# Licencing Forms FORM LR-3

# GOVERNMENT OF RAJASTHAN OFFICE OF THE CONTROLLER OF LEGAL METROLOGY LICENCE TO REPAIR WEIGHTS, MEASURES, WEIGHING INSTRUMENTS OR MEASURING INSTRUMENTS

Licence No ...... Year ......

- - instruments or measuring instruments that are licenced to be repaired by the party)

    The licence is valid for the party panel above in respect of
- 2- The licence is valid for the party named above in respect of his workshop located at ......
- 3- This licence is valid from ..... to .....
- 4- The repairer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with any one, his licence is liable to be cancelled.
- 5- The party is licenced to repair weights, measures, weighting and measuring instruments in the areas mentioned below -

(Signature) Controller of Legal Metrology

Govt. of Rajasthan

(Seal) Date:

Note: In the case of firm, its name with the names of all persons having any interest in the business should be given in paragraph (1).

#### **Conditions of Licence**

- 1. The person in whose favour this licence is issued shall, -
  - (a) comply with all the relevant provisions of the Act and rules for the time being in force;
  - (b) not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act or the rules for the time being in force;
  - (c) exhibit this licence in some conspicuous part of the premises to which it relates;
  - (d) comply with any general or special directions that may be given by the Controller of Legal Metrology;
  - (e) surrender the licence in the event of closure of business and/or cancellation of Licence;
  - (f) (i) Present the weights, measures, weighing or measuring instruments as the case may be duly repaired to the Legal Metrology Officer for under taking verification and stamping as specified in sub-rule (1) of rule 14, before delivery to the user.
    - (ii) In the case of weights, measures weighing or measuring instruments, if they are serviced/repaired before the date on which the verification falls due and where, in the process and the verification stamp of the Legal Metrology Officer is defaced, removed or broken, they shall be presented duly repaired to the Legal Metrology Officer for re-verification and stamping before delivery to the user.
  - (g) submit the application for renewal of this licence as required under the rules within ninety days of expiry of the validity of the licence.
- 2. Every condition prescribed after the issue of this licence shall, if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the licence has been granted.

#### Renewal Entries

Current No Date Renewed for				No Date Renewed for
Seal			Seal	
	Controller of Legal Metrology			Controller of Legal Metrology

(Seal) (Signature)

Date ..... Controller of Legal Metrology

Government of Rajasthan

Place..... Date


Note: In the case of firm its name with the names of all persons having any interest in the business should be given in paragraph (1).

#### CONDITIONS OF LICENCE

- 1. The person in whose favour this licence is issued shall, -
  - (a) comply with all the relevant provisions of the Act and rules for the time being in force;
  - (b) not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act. or the rules for the time being in force;
  - (c) exhibit this licence in some conspicuous part of the premises to which it relates;
  - (d) comply with any general or special directions that may be given by the Controller of Legal Metrology;
  - (e) surrender the licence in the event of closure of business and/or cancellation of Licence;
  - (f) submit the application for renewal of this licence as required under the rules within ninety days of expiry of the validity of the licence.
  - (g) not sell or offer, expose or possess for sale any nonstandard weight or measure.
- 2. Every condition prescribed after the issue of this licence shall, if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the licence has been granted.

#### Renewal Entries

Current N	Current No Date			Current No Date		
	Renewed for			Renewed for		
Seal			Seal			
	Controller			Controller		
of Legal Metrology				of Legal Metrology		
Current N	Io Date	Current No Date				
]	Renewed for	Renewed for				
Seal			Seal			
	Controller			Controller		
of Legal Metrology				of Legal Metrology		



#### SCHEDULE - IV [See rule 11 (4) & (5)]

Government of Rajasthan Office of Controller of Legal Metrology

Licencing and renewal fees for manufacturers, repairers of dealers of weights and measures

1. Issue of licence / renewal of licence to:

(i) Manufacturers 1000/- per year Rs. (ii) Repairers Rs. 500- per year (iii) Dealers Rs. 500/- per year

#### SCHEDULE-V [See rule 11 (6)]

Government of Rajasthan Office of Controller of Legal Metrology Register of licenced manufacturers/ Repairers/ Dealers of weights, measures, weighing / measuring instruments

Office of .....

Licence	Date of	Name and	Place	Articles	Trade	Orders	Result	Signature	Rem-	
Number	issue/	complete	where	to be	mark/	regarding	of	of	ark	
	renewal	address of	workshop/	manu-	monogram	cancellation	appeal	competent		
		the manu-	factory is	factured/	being used	of licence		authority		
		facturer	situated	repaired/						
		/repairer/		sold						
		dealer								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Note: Column (4) does not apply to dealers, column (6) does not apply to repairers and dealers.

### SCHEDULE -VI [See rule 11(8)]

Government of Rajasthan
Office of Controller of Legal Metrology
Security deposit to be made by licencee repairer

Repairer of weights and measures including weighing Rs. 500.00 and measuring instruments.

# SCHEDULE – VII [See rule 13]

Register to be maintained by the manufacturers of weights and measurers.

1-	Name and address of the manufacturer
2-	Description of the weight or measure
3-	(i) No. of the manufacturing licence
	(ii) Date on which the licence was issued
	(iii) Period of validity of the licence
4-	Particulars of order, if any, suspending or revoking
	the licence.

S.No.	Month	Unsold	Quantity	Total	Sold within the	
		stock	manufactured	3+4	S	tate
		from	during the		No. of	Dispatch
		previous	month		item	voucher
		month			sold	no. and
						date
1	2	3	4	5	6	7

Sold outside the		Dispatch	Total sold	Balance	Remarks
state		voucher	(6+9)	(5-11)	
Name of	No. of	no. and			
the state	items	date			
	sold				
8	9	10	11	12	13

#### Form LR-4

Register to be maintained by the repairer in respect of weights, Measures

Name and address of the repairer .....Licence No.......

Date of Licensing ......

S.	Date	Name of the	Items and their	Receipt No. and
No.		user from	Nos. booked	date of issue to
		whom received	for repair	the user
1	2	3	4	5

Amount of	Amount of	Total	Date of	Remarks
repairing	verification	amount	return to	
charges	fee	charged	the user	
6	7	8	9	10

#### Form LD-4

Register to be maintained by dealer in weights and measures.

- 1- Name and address of the dealer ......
- 2- Description of the weight or measure ......
- 3- (i) Dealer licence No.
  - (ii) Date on which the licence was issued .....
    - (iii) Period of validity of licence ......

Sr.	Month	Unsold	Brought	Brought	Total
No.		stock from	from within	from	(3+4+5)
		the	the state	outside the	
		previous	during the	state during	
		month	month	the month	
1	2	3	4	5	6

Sold v	within the	Sold outside the state			Total	Balance	Rem-
S	state				sold		arks
No.	Dispatch	No.	Dispatch	Name	(7+9)	(6-12)	
of	voucher	of	voucher	of the			
items	no. and	items	No. and	state			
sold	date	sold	date				
7	8	9	10	11	12	13	14

# Schedule-VIII [See rule 15 (3)]

Government of Rajasthan
Office of the Controller, Legal Metrology,
Certificate of verification

Name of Legal Metrology (	Officer No	
I hereby certify that I have	this day verified and stampe	ed / rejected
the under mentioned weight	s, measurers, etc.	
Belonging to	Locality	

Quan-	Denomi	nation	Weighing in		instruments		Measuring	Verification	Carriage,
tity	Weights	Meas-	Capa-	Class	Manu-	Type	instruments	Fee	conveyance
		ures	city		facturer			Rs. p	adjusting
									charges etc.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Total Rs deposited vide T. Recei	pt/ Money receipt .No
datedRepaired by/ Used by	,
	(Signature)
Next verification due on	Legal Metrology Officer

Note:- In the case of rejected weights, measures, etc the Legal Metrology Officer shall give separate Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

### Schedule-IX [See rule 16 (1)]

Fee payable for verification and Stamping of Weights and Measures and Weighing and Measuring Instruments

### 1- (a) Bullion Weights:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
10 Kg.	30.00
5 Kg.	20.00
2 Kg.	20.00
1 Kg.	20.00
500 g.	15.00
200 g.	15.00
100 g.	15.00
50 g.	15.00
20 g.	15.00
10 g.	15.00
5 g.	15.00
2 g.	15.00
1g	15.00

### (b) Carat Weights:

100g (500 c)	20.00
40g (200 c)	20.00
20g (100 c)	20.00
10g (50 c)	20.00
4g (20 c)	20.00
2g (10 c)	20.00
1g (5 c)	20.00
400mg (2 c)	20.00
200mg (1 c)	20.00
100mg (0.5 c)	20.00
40mg (0.2 c)	20.00
20mg (0.1 c)	20.00

10mg (0.05 c)	20.00
4mg (0.02c)	20.00
2mg (0.01 c)	20.00
1mg (0.005c)	20.00

# (c) Cylindrical knob type weights: (Including Brass Weights)

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
10 Kg.	20.00
5 Kg.	20.00
2 Kg.	20.00
1 Kg.	20.00
500 g.	10.00
200 g.	10.00
100 g.	10.00
50 g.	10.00
20 g.	10.00
10 g.	10.00
5 g.	10.00
2 g.	10.00
1g	10.00

### (d) Sheet metal Weight (Bullion and other than Bullion)

Denomination	Fee per piece (Rs.)		
(1)	(2)		
	Bullion Weights	Other than Bullion Weights	
500 mg.	10.00	5.00	
200 mg.	10.00	5.00	
100 mg.	10.00	5.00	
50 mg.	10.00	5.00	
20 mg.	10.00	5.00	
10 mg.	10.00	5.00	
5 mg.	10.00	5.00	
2 mg.	10.00	5.00	
1 mg.	10.00	5.00	

(e) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weights:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
50 Kg.	25.00
20 Kg.	20.00
10 Kg.	20.00
5 Kg.	20.00
2 Kg.	15.00
1 Kg.	10.00
500 g.	5.00
200 g.	5.00
100 g.	5.00
50 g.	5.00
20g	5.00
10g	5.00
5g	5.00
2g	5.00
1g	5.00

# (f) Standard weights for testing of high capacity weighing machines:

Denominations	Fee corresponding	Fee corresponding to Max	
	to Max permissible	permissible relative error	
	relative error	3.3/10000, 1.7/10000 and	
	0.5/10000 in Rs.	1.0/10000 in Rs.	
100kg	75.00	50.00	
200kg	150.00	100.00	
500kg	300.00	200.00	
1000kg	750.00	500.00	
2000kg	1500.00	1000.00	
5000kg	3000.00	2000.00	

# 2-Capacity Measures:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
100 litre and above	Rs. 57 for the Ist 100 litre plus Rs. 7 for
	every additional 100 litre or part thereof
	subject to maximum of Rs. 5000.
501	50.00
201	20.00
101	20.00
51	20.00
21	20.00
11	20.00
500 ml	10.00
200 ml	10.00
100 ml	10.00
50 ml	10.00
20 ml	10.00
10 ml	10.00
5 ml	10.00
2 ml	10.00
1 ml	10.00

### 3- Length Measures:

### (a) Non-Flexible –

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
2 m.	10.00
1 m.	10.00
0.5 m.	20.00
1 m. graduated (at every cm)	20.00
0.5 m. graduated (at every cm)	20.00

### (b) Fabric Plastic/ Woven/Steel tapes –

Accuracy Class	Fee per metre in Rs.
(1)	
Class-I	10.00
Class-II	10.00
Class-III	5.00

### (c) Folding Scales –

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
1 m.	10.00
0.5 m.	10.00

### (d) Surveying Chain –

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
30 m.	100.00
20 m.	100.00

#### 4-Beam Scale Class A & B:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
200 kg.	400.00
100 kg.	300.00
50 kg.	150.00
20 kg.	150.00
10 kg.	150.00
5 kg.	100.00
2 kg.	100.00
1 kg.	100.00
500 g and below	60.00

#### 5-Beam Scales Class C& D:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
1000 kg.	200.00
500 kg	200.00
300 kg	200.00
200 kg	100.00
100 kg	100.00
50 kg	20.00
20 kg	20.00

, ,	΄ ΄		/ \
19(100)	)         राजस्थान राज–पत्र, मई 4,	2011 भाग 4	(11)
13(100)	, (101/911 (101 47, 12 4,	2011 1111 4	(1)

10 kg	20.00
5 kg	15.00
2 kg	15.00
1 kg	15.00
500 g and below	10.00

# 6-Non-Automatic Weighing Instruments-Mechanical (analogue) Class III & IIII :

400 t	4000.00
300 t	3000.00
200t	3000.00
150 t	2000.00
100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	500.00
3 t	400.00
2 t	400.00
1500 kg	300.00
1000 kg	300.00
500 kg	300.00
300 kg	200.00
250 kg	200.00
200 kg	100.00
150 kg	100.00
100 kg	100.00

50 kg	100.00
30 kg	100.00
25 kg	60.00
20 kg	60.00
15 kg	30.00
10 kg	30.00
5 kg	30.00
3 kg	30.00
2 kg	30.00
1 kg	15.00
500 g. and below	15.00

# 7-Non-Automatic Weighing Instruments-Electronic Class III & IIII

2 2	
400 t	4000.00
300 t	3000.00
200t	3000.00
150 t	2000.00
100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	1000.00
3 t	500.00
2 t	500.00
1500 kg	250.00
1000 kg	250.00
500 kg	250.00
300 kg	200.00

19(102) राजस्थान राज-पत्र, मई ४, २०११ भाग ४ (ग
--

250 kg	200.00
200 kg	200.00
150 kg	200.00
100 kg	200.00
50 kg	200.00
30 kg	200.00
25 kg	200.00
20 kg	100.00
15 kg	100.00
10 kg	100.00
5 kg	100.00
3 kg	100.00
2 kg	100.00
1 kg	100.00
500 g. and below	100.00

# 8-Not Automatic Weighing instruments both mechanical and electronics class I & II:

Capacity	Fee (Rs.)
Exceeding 50 t	3000.00
Not exceed 50t but exceed 10t	2000.00
Not exceed 10t but exceed 1t	1000.00
Not exceed 1t but exceed 50kg	500.00
Not exceed 50kg but exceed 10kg	300.00
Not exceed 10kg	200.00

## 9-Automatic Weighing Instrument:

Capacity	Fee in Rs.
Exceeding 100 t	4000.00
Not exceeding 100t but exceeding 50t	3000.00
Not exceeding 50t but exceeding 10t	2000.00
Not exceeding 10t but exceeding 1t	1000.00
Not exceeding 1t but exceeding 50kg	500.00
Not exceeding 50kg but exceeding 10kg	250.00
Not exceeding 10kg	200.00

10-Volumetric measuring instruments:

(a) Dispensing pumps each pump : Rs.1000.00 per unit (b) Totalizing counter : Rs. 500.00 per unit

(c) Other instruments :

Capacity	Fee in Rs.
Exceeding 100 litre	Rs. 500 for the Ist 100 liters plus Rs. 250
	for every additional 100 liters or part
	thereof
Not exceeding 100 litre	500.00
but exceeding 50 litre	
Not exceeding 50 litre	250.00
but exceeding 20 litre	
Not exceed 20 litre	200.00

#### 11- Flow meters:

Flow rate up to 100 litre/ min. Rs.2000.00
Above 100 litre/ min upto 500 litre/ min Rs.3000.00
Above 500 litre /min. Rs.5000.00

#### 12- Linear Measuring Instruments:

Taxi, Autorishaw meters Rs.100.00

Other meters Rs.50 for the Ist 1000 m. or

part there of

Plus Rs. 5.00 for every additional 100 m. or part

thereof

13- Clinical Thermometer: Rs. 0.50 per unit 14- Water meter: Rs. 25.00 per unit

#### 15- Peg Measure:

30 ml	50.00
60 ml	50.00
100 ml	50.00

/	r	( )
19(104)	राजस्थान राज–पत्र, मई 4, 2011	भाग 4 (ग)
10(107)	101011 101 17, 10 4, 2011	111 1 7 ( 1)

16. CNG Dispensers: Rs. 1000.00 per unit 17. LPG Dispensers: Rs. 1000.00 per unit

18. Counter Machine:

(i) Up to 10 Kg. Rs. 20.00 (ii) Above 10 Kg. Rs. 50.00

# SCHEDULE -X [See rule 24(1)]

Form of appeal against an order of a Legal Metrology Officer/ Controller Legal Metrology:-

- 1-Name and address of the appellant.
- 2-No. and date of order of Legal Metrology Officer/ Controller of Legal Metrology against which the appeal is preferred.
- 3-Whether the appellant desires to be heard in person or through an authorized representative.
- 4-Grounds of appeal

# SCHEDULE -XI [See rule 25] Compounding fees for various offences

Sr.	Section and nature of offence	Penal	Compounding
No.		Section	fee
1	2	3	4
1.	S. 8(3) Use of weight, measure or	25	Rs.2500.00
	numeration other than the		
	Standard weight, measure or		
	numeration		
2.	S. 8(4) Manufacture of weight or	27	Rs.2000.00
	measure not conforming to		
	Standards		
3.	S. 10 Transaction or dealing or	28	Rs.1000.00
	contract in respect of goods etc, by		
	weight, measure or number other		
	than prescribed.		

1	2	3	4
4.	S. 11 Quote or make announcement	29	Rs.1000.00
	or issue or exhibit of price list or		
	changing of price otherthan in		
	accordance with standard unit of		
	weight or measure or numeration.		
5.	S. 12 Demanding or receiving any	30	Rs.1000.00
	articles or thing on service in		
	excess or less than the quantity		
	specified by contract or		
	agreement.		
6.	S.17 Non-Maintenance of records,	31	Rs.500.00
	registers by manufacturer, dealer		
	or repairer and Non-Production		
	of weight, measure document,		
	register, on demand		
7.	S 33 Sale of Weight or Measure	33	Rs. 5000.00
	without verification		
8.	S. 24 Use of unverified weight	33	Rs. 5000.00
	or measure in transaction or		
	protection		
9.	S. 34 Sale or delivery of	34	Rs. 2500.00
	commodities by Non Standards		
	Weights or Measure		
10.	S 35 Rendering service by Non	35	Rs.2500.00
	Standard Weight or Measure		
11.	S.18(1) Non-Compliance of	36(1)	Rs. 2500.00
	declaration in respect of pre-		
	packaged commodity by		
	manufacturer/ dealer		
12.	S.18(1) Non-Compliance of net	36(2)	Rs.15000.00
	quantity-requirement of pre-		
	packaged commodity by		
	manufacturer		

19(106) राजस्थान राज-पत्र, मई 4, 2011			भाग 4 (ग)
1	2	3	4
13.	S. 23 Manufacturer of weight or	45	Rs.5000.00
	measure without licence		
14.	S. 23 Repair/sale of weight or	46	Rs.2000.00
	measure without licence		
15.	S 47 Tempering with License	47	Rs. 5000.00
16.	S. 53(3) Provision of any rule	53(3)	Rs. 500.00
	made under the Act		

# [No.F6(410)CI/LM/Model/Rules/Act/2010] By order of the Governor,

डॉ. मोहन लाल यादव,

**Deputy Secretary to the Government.** 

Government Central Press, Jaipur.